भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

लद्दाख का राजपत्र
The Ladakh Gazette

एस.जी.-एल.डी.-अ.-22092023-1254
SG-LD-E-22092023-1254

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

लद्दाख, 21 सितंबर, 2023
LADAKH, THURSDAY, SEPTEMBER, 21, 2023

Part II - Section 3

केन्द्र-शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन
ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

राजस्व विभाग

अधिसूचना

लद्दाख, 18 सितम्बर 2023

का.आ. 75: - जम्मू और कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम, संवत 1996 (1939 एडी) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ राज्य प्रशासन लद्दाख एतदद्वारा भूमि डिजिटलीकरण अभिलेख, विनियम, 2023 के लिए संघ राज्य लद्दाख मानक संचालन प्रक्रियाओं को अधिसूचित करता है।

संघ राज्य प्रशासन लद्दाख के आदेश से जारी

PAWAN KOTWAL
Digitally signed by PAWAN KOTWAL
Date: 2023.09.21 20:00:48 +05'30'

(डॉ. पवन कोतवाल, आईएएस),
सलाहकार व प्रशासनिक सचिव
राजस्व विभाग

संख्या . M-17056(14)/1/2023-Revenue Section

दिनांक:18.09.2023

अनुक्रमणिका

अध्याय संख्या	सामग्री	पृष्ठ
I	प्रारंभिक	1
II	सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियाँ	2
III	सर्वेक्षण गतिविधियाँ	3
IV	भूमि पार्सल का मापन	5
V	निरीक्षण एवं गुणवत्ता जांच	9
VI	सर्वेक्षण के बाद की गतिविधियाँ	12
VII	आपत्तियों का निस्तारण	13
VIII	अभिलेखों का अंतिम प्रकाशन	15
IX	मापक	16
X	सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण	17
Form 1	**सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण अनुसूची**	18
Form 2	सर्वेक्षण/पुनर्निर्धारण के बाद जियो कोड अंकित पत्थर की स्थापना के साथ गांव/तहसील सीमा का मानचित्र	19
Form 3	लगाए गए सर्वेक्षण चिन्हों का विवरण	20
Form 4	विभाग/संस्था को सूचना	21
Form 5	क्षेत्र की सीमा का सीमांकन करते समय आपत्ति दर्ज कराने हेतु	22
Form 6	आरोपित गांव का नक्शा	23
Form 7	रफ लोकेशन स्केच	24
Form 8	भूमि पार्सल मानचित्र	25
Form 9		26
Form 10	ग्राम सीमा गुणवत्ता जांच रिपोर्ट	27
Form 11	अभिलेखों की अंतिम जांच पर रिपोर्ट	28
Form 12	भू-धारियों को नोटिस	29
Form 13	ग्रामवार ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट (जीसीपी)	30
Form 14	विसंगतियां रजिस्टर	31
Form 15	अंतिम रोबकर	31
चिह्न	सर्वेक्षण चिह्न	32

अध्याय I

प्रारंभिक

1. किसी भी क्षेत्र में सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण करने से पहले भूमि राजस्व अधिनियम, 1939 की धारा 101 और 98 के साथ पठित धारा 22 के तहत सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

2. जब अधिसूचना भूमि राजस्व अधिनियम, 1939 की धारा 101 और 98 के साथ पठित धारा 22 के तहत प्राधिकरण जारी की गई है, तो संबंधित उपायुक्त जिले में फॉर्म -1 में सर्वेक्षण / पुनर्सर्वेक्षण के लिए अनुसूची प्रकाशित करेंगे ।

3. अधिसूचित गांव में सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है (हार्ड और सॉफ्टकॉपी दोनों)।

i) गांव की डिजिटलीकृत मसावी/लट्ठा सॉफ्ट कॉपी।

ii) फॉर्म नंबर 7 में चोमिंडा/रफ स्केच।

iii) फॉर्म नंबर 9 (कॉलम नंबर 1 से 4) में फ़ील्ड रजिस्टर/खसरा विवरण

iv) नवीनतम अद्यतन जमाबंदी और शजरा नसब।

v) खसरा गिरदावरी रजिस्टर

vi) ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स (जीसीपी) की सूची: प्राथमिक/माध्यमिक/तृतीयक

अध्याय-II

सर्वेक्षण-पूर्व गतिविधियाँ

1. मौजूदा मसावी का वेक्टरीकरण: विक्रेता वर्तमान मसावी को स्कैन और डिजिटाइज़ करेगा। इसे संबंधित पटवारी की सहायता से अद्यतन किया जाएगा। इस वेक्टरकृत मसावी/मानचित्र की हार्ड और सॉफ्ट प्रतियों को सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण उद्देश्यों के लिए क्षेत्र में ले जाया जाएगा।

2. अद्यतन जमाबंदी का डिजिटलीकरण: एजेंसी (**JaKLaRMA)** डेटा प्रविष्टि/डिजिटलीकरण के लिए विक्रेता को अद्यतन/वर्तमान जमाबंदी प्रदान करेगी। जब विक्रेता जमाबंदी का डिजिटलीकरण पूरा कर लेगा, तो राजस्व अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता की जांच की जाएगी। हालाँकि, अंतिम रूप देने से पहले, 'तसदीक आख़िर' के बाद सत्यापित सभी म्यूटेशन को विक्रेता द्वारा एक अनुकूलित सॉफ़्टवेयर की मदद से शामिल किया जाएगा। इस जमाबंदी की हार्ड और सॉफ्ट प्रतियों को सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण उद्देश्यों के लिए क्षेत्र में ले जाया जाएगा।

3. तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सार्वजनिक शिविर: तहसीलदार/नायब तहसीलदार तहसील की अधिसूचना की तारीख तक अंतिम जमाबंदी के बाद दर्ज किए गए सभी उत्परिवर्तन को सत्यापित/समेकित करने के लिए शिविर आयोजित करेंगे।

4. रफ लोकेशन मैप/चोमिंडा (रफ मैप): सर्वेक्षक भूमि की आसान पहचान के लिए लोकेशन स्केच तैयार करने के उद्देश्य से आधार मानचित्र के रूप में उपयोग करने के लिए उपग्रह छवि पर आरोपित निकास गांव के मानचित्र का उपयोग करेगा। विक्रेता/सर्वेक्षक की मदद से पटवारी प्रत्येक भूमि का व्यवस्थित तरीके से सीमांकन करते हुए फॉर्म-**7** में एक रफ लोकेशन स्केच (चोमिंडा) तैयार करेगा ताकि कोई भी भूमि पार्सल छूट न जाए। सभी भूमि जैसे सरकार, कहचराई, गैर-अंशीय शामिलात आदि को पहले पिछली बस्ती के मानचित्र (शजरा) की तुलना करके सीमांकित किया जाना है और फिर मेंड़ के प्रत्येक मोड़ को स्पष्ट रूप से चित्रित करते हुए क्षेत्रवार चोमिंडा को खाका दस्ती के रूप में पूरी संपत्ति के लिए तैयार किया जाएगा। यह प्रक्रिया गांव के उत्तर पश्चिम कोने से शुरू कर दक्षिण पूर्व कोने पर समाप्त की जाएगी, ताकि कोई भी खसरा नंबर छूट न जाए। प्रत्येक खेत को श्रृंखला में एक अस्थायी नंबर दिया जाएगा और साथ ही पुराना खसरा नंबर भी रिकार्ड किया जाएगा। मेंड़ के क्षेत्रफल को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। पार्सल को चिह्नित करना: इस चोमिंडा की मदद से, सर्वेक्षक उस पटवारी की कड़ी निगरानी में पार्सल के सभी

बिंदुओं पर झंडे लगाएगा, जिसे गांव सौंपा गया है ताकि भूखंडों का सर्वेक्षण करते समय समय व्यर्थ न हो।

अध्याय-III

सर्वेक्षण गतिविधियाँ

गांव की सीमा का सीमांकन

1. पटवारी की सहायता से, सर्वेक्षक मौजूदा सीमा डेटा का उपयोग करके सर्वेक्षण करके ग्राम ट्राइ/बाय जंक्शन सर्वेक्षण पत्थरों की पहचान करेगा जो जमीन पर बरकरार हैं। सर्वेक्षक कम से कम तीन ऐसे बिंदुओं के भू-निर्देशांक का निरीक्षण करेगा और मौजूदा ट्रैवर्स डेटा को जियो-निर्देशांक में परिवर्तित करेगा और सिस्टम में प्रत्येक ट्रैवर्स बिंदु के भू-निर्देशांक बनाएगा।

2. गांव की यात्रा के लिए भू-निर्देशांक तैयार करने के बाद, सर्वेक्षणकर्ता सभी बिंदुओं को जमीन पर रखेगा। फिर नक्शे से गांव की सीमा दोबारा तय की जाएगी। इस प्रक्रिया में, यदि कोई बिंदु मौजूदा निर्धारित सीमा बिंदु से विचलित पाया जाता है, तो उस बिंदु की फील्ड बुक के संदर्भ में जांच की जाएगी। यदि मौजूदा सर्वेक्षण चिह्न जमीन पर बरकरार है और स्टैक आउट बिंदु विचलित पाया जाता है, तो मौजूदा डेटा के संदर्भ में गांव की सीमा को तोड़कर मौजूदा बिंदु को अंतिम रूप दिया जाएगा। चल रहे सर्वेक्षण के दौरान किसी भी समय सेहदा पत्थरों को ठीक कर दिया जाएगा।

3. गांव की सीमा का निर्धारण करते समय, यदि कोई मौजूदा डेटा उपलब्ध नहीं है जिसकी मदद से गांव की सीमा को फिर से तय किया जा सके या जहां राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकित की गई सीमा मौके पर मौजूदा गांव की सीमा से मेल नहीं खाती है, गाँव की अस्थायी सीमा निकटवर्ती गाँव की पंचायत/भूमि धारकों की सहमति से ग्राम पंचायत/भूमि धारकों के पास उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर फिर से तय की जाएगी। ऐसे मामलों में, राजस्व अधिकारी ऐसा करने के कारणों को दर्ज करेंगे और मामले को अंतिम निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा। हालाँकि, विक्रेता गाँव के आंतरिक भूमि खंडों का सर्वेक्षण को जारी रखेगा और गाँव की सीमा पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अभाव में काम नहीं रुकेगा। गांव की सीमा के पास की जमीन पर दावा करने वाले सरकारी विभागों को भी इसमें शामिल

किया जाएगा।

4. मौजूदा सर्वेक्षण चिह्न बने रहेंगे और गांव के तिराहा बिंदुओं के सभी गायब पत्थरों को वापस लगाया जाएगा। लगाए गए प्रत्येक सर्वेक्षण पत्थर को मजबूती से स्थापित किया जाना होगा । इसकी लंबाई का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा जमीन के ऊपर दिखाई नहीं देना चाहिए। पत्थर रखने के लिए गड्ढा पत्थर से थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए और एक बार में थोड़ी मात्रा में मिट्टी डालकर अच्छी तरह से दबा देना चाहिए।

5. इसके बाद, गांव की सीमा का नक्शा तैयार करने के लिए मोड़ सहित गांव की सीमा के भू-निर्देशांक देखे जाएंगे और रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसी डेटा का उपयोग निकटवर्ती गांवों के लिए किया जाएगा।

6. तहसीलदार/नायब तहसीलदार पुन: निर्धारित होने वाली सीमा के दोनों ओर के पटवारियों को निर्देश देंगे।

7. यदि गांव की सीमा जिले की भी सीमा है, तो ऐसी सीमा के प्रस्तावित सर्वेक्षण की सूचना संबंधित जिले को दी जाएगी। ऐसी सीमा के भू-निर्देशांक को जिले के संबंधित अधिकारी की उपस्थिति में देखा और दर्ज किया जाएगा। किसी भी असहमति के मामले में, सर्वेक्षण एवं भूमि अभिलेख के क्षेत्रीय निदेशक सर्वेक्षण करेंगे और ऐसी सर्वेक्षण की गई सीमा अंतिम होगी।

8. गाँव की सीमा निर्धारित या ठीक करते समय, निम्नलिखित शर्तें सामने आ सकती हैं:

a) गाँव का कुछ हिस्सा डूब क्षेत्र के तहत प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित किया गया था, तो गाँव की सीमा उस गाँव के बचे हुए हिस्से तक सीमित है और अधिग्रहित हिस्से को उस परियोजना के जलाशय के नाम पर ऐसी परियोजना के लिए माना जाएगा।

b) सामान्यतः प्रारम्भिक सर्वेक्षणों में प्राकृतिक सीमाओं को ही गाँव की सीमाएँ माना जाता है। सड़क, नहर, रेलवे, नाला आदि जैसी प्राकृतिक सीमाओं का विस्तार हो सकता है, हालाँकि, गाँव के लिए भूमि का वही वर्गीकरण लिया जाएगा जहाँ प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान प्राकृतिक सीमा तय की गई थी।

c) कुछ राजस्व गांव ऐसे हैं जो शहरी बस्तियों में विकसित हो गए हैं और उचित अधिनियम के तहत स्थानीय निकाय के रूप में अधिसूचित किए गए

हैं। ऐसे मामले में, ऐसे स्थानीय निकाय की अधिसूचित सीमा का सर्वेक्षण संबंधित गांव के हिस्से के रूप में किया जाएगा, लेकिन उस स्थानीय निकाय की राजपत्र अधिसूचना के संदर्भ में अलग-अलग रंग में अलग से दिखाया जाएगा।

d) जब नदी दो गांवों या दो जिलों के बीच मौजूद हो और नदी की मौजूदा स्थिति दर्ज आंकड़ों से भिन्न हो सकती है, तो नदी-बंद को वास्तविक गांव की सीमा के रूप में माना जाएगा। जहां भी नदी अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, मौजूदा सीमा का पालन किया जाना चाहिए।

9. जब कोई नदी गांव की सीमा बनाती है, तो प्रत्येक किनारे पर पत्थर/स्तंभ खड़ा किया जाना चाहिए, और नदी तल के मध्य को वास्तविक सीमा माना जाएगा, बशर्ते कि मौजूदा अधिकारों में हस्तक्षेप न किया जाए। नदी के उस हिस्से को एक बनाया जाएगा और प्रत्येक किनारे पर सर्वेक्षण पत्थर लगाए जाएंगे।

10. यदि गांव की सीमा को दोबारा तय करने या अंतिम रूप देने के दौरान कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले को अंतिम रूप देने के लिए तहसील स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। समाधान न होने पर जिला स्तरीय समिति को इसकी अनुशंसा की जाएगी और सर्वेक्षण प्रयोजनों के लिए जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

11. गांव के सीमा मानचित्रों के पूरा होने के बाद, मानचित्रण विशेषज्ञों द्वारा कंप्यूटर में ओवरलैप या अंतराल के लिए पूरी तरह से गुणवत्ता जांच की जाएगी और सीमांकन के लिए क्षेत्र में जाने से पहले ऐसी खामियों को ठीक किया जाएगा।

12. मौजूदा गांव क्षेत्र और नए क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाएगा और क्षेत्र में भिन्नता के लिए जांच की जाएगी। जहां भी, 5% से अधिक की भिन्नता है, तहसील स्तरीय समिति सिफारिशों के साथ मामले को जिला स्तरीय समिति को अग्रेषित करेगी और उसका निर्णय सर्वेक्षण उद्देश्यों के लिए अंतिम होगा।

13. जहां भूमि अधिसूचित शहरी क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर आती है, उसे वाणिज्यिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है या अधिसूचित स्टांप शुल्क दरों के अनुसार भूमि का मूल्य 20 लाख रुपये प्रति कनाल से अधिक है, तब 2% से ऊपर किसी भी बदलाव को उचित आदेशों के लिए वित्तीय आयुक्त राजस्व को संदर्भित किया जाएगा।

14. विक्रेता गांव के सीमा मानचित्र के पूरा होने के बाद और क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए जाने से पहले निम्नलिखित अंतिम रिकॉर्ड प्रदान करेगा:

a) सीमा के पुन:निर्धारण के बाद पत्थरों के स्थान और भू-निर्देशांक के साथ गांव/तहसील की सीमा (फॉर्म 2)।

b) सर्वेक्षण का ग्रामवार मौजूदा और नए लगाए गए विवरण दोनों को चिह्नित करता है (फॉर्म -3)।

अध्याय-IV

सरकारी/निष्क्रिय/खाचराई/सार्वजनिक भूमि सहित

भूमि की माप

1. सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण कार्य शुरू करने से पहले, प्रत्येक अधिकारी (सरकारी और निजी दोनों) को तहसीलदार द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी।

2. पटवारी/गिरदावर को उस गांव के भूमि धारकों, लंबरदार/चौकीदारों और सरपंच/पंचों/वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में एक ग्राम सभा आयोजित करनी होगी और सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण करने के लिए कार्यक्रम और कार्य योजना के बारे में बताना होगा । गांव में सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण संचालन शुरू करने के संबंध में व्यापक प्रचार के लिए ऐसी अनुसूची ग्राम पंचायत और दो विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी। पटवारी द्वारा सभी इच्छुक व्यक्तियों को ग्रामसभा आयोजित करने की तारीख और समय पहले से सूचित किया जाएगा।

3. तहसीलदार/नायब तहसीलदार जम्मू-कश्मीर सरकार/भारत सरकार/सार्वजनिक संस्थानों के संबंधित विभागों के अधिकारियों को पावती के साथ फॉर्म-**4** में एक लिखित सूचना देंगे। राजस्व अधिकारी लंबरदार/चौकीदार के माध्यम से भूमि के मालिकों और वैध कब्जेदारों के नामों का पहले ही पता लगा लेंगे।

4. सर्वेक्षक संबंधित भूमिधारकों की उपस्थिति में जीएनएसएस रिसीवर के साथ सभी सीमांकित बिंदुओं का निरीक्षण करेगा, भू-निर्देशांक रिकॉर्ड करेगा और फॉर्म -**8** में भूमि पार्सल मानचित्र तैयार करेगा।

5. अगर कोई व्यक्ति, जिनकी उपस्थिति आवश्यक है, उपस्थित होने से इंकार करते हैं या

उपस्थित नहीं होते हैं, तो गैर-उपस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार को भेजी जानी होगी और संबंधित पटवारी/गिरदावर की सलाह पर सर्वेक्षण जारी रखा जाएगा।

6. प्रतिनियुक्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी भूमि के सीमांकन की सत्यता को (लिखित रूप में) प्रमाणित करेंगे। यदि कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो पटवारी/गिरदावर को सर्वेक्षण करते समय उचित साक्ष्य के साथ सरकारी विभाग/अधिकारी सहित किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा उठाए गए सीमा विवादों पर पावती के साथ फॉर्म -**5** में आपत्ति प्राप्त करनी होगी। सर्वेयर ऐसी विवादित सीमाओं का सर्वेक्षण करेगा लेकिन वह इसे पटवारी/गिरदावर के ध्यान में लाएगा जो विवाद के समाधान के लिए तहसील स्तरीय समिति या किसी नामित प्राधिकारी को सूचित करेगा। सर्वेक्षण इस टिप्पणी के साथ जारी रखा जाएगा कि उक्त भाग विवादित है और नामित प्राधिकारी के निर्णय के अधीन होगा जो कारणों के साथ लिखित रूप में अपना निर्णय दर्ज करेगा।

7. सभी सरकारी भूमि, सार्वजनिक भूमि, अर्थात, कहचराई भूमि/सामान्य भूमि, अर्जित भूमि; जल निकायों आदि का सर्वेक्षण कर मौजूदा मानचित्र/जमाबंदी के अनुसार पुनः निर्धारण किया जाना होगा। सड़कों/बिजली उपयोगिताओं/सार्वजनिक संस्थानों और जल निकायों आदि जैसे सभी बुनियादी ढांचे को मापा जाएगा और मौजूदा रिकॉर्ड का हिस्सा होने पर इन भूखंडों को एक अलग खसरा नंबर आवंटित किया जाएगा। इन भूमियों को आरओआर के अंत में एक अलग इकाई के रूप में दर्शाया जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त बुनियादी ढांचे सरकारी भूमि या निजी भूमि पर हैं। यदि इस पैरा के तहत कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सर्वेक्षक मौके की स्थिति दर्ज करेगा और इसे विवादित दिखाएगा और इसे तहसील स्तरीय समिति के ध्यान में लाएगा।

8. सर्वेयर पटवारी/गिरदावर की उपस्थिति में भूमि धारकों/एजेंट द्वारा दर्शाई गई भूमि पार्सल सीमाओं का सर्वेक्षण करेगा। विवाद की स्थिति में, सर्वेक्षक ऐसी विवादित सीमाओं का सर्वेक्षण करेगा और संबंधित पटवारी विवाद के समाधान के लिए इसे तहसील स्तरीय समिति या किसी नामित प्राधिकारी के ध्यान में लाएगा। सर्वेक्षण इस टिप्पणी के साथ जारी रखा जाएगा कि यह भाग विवादित है और नामित प्राधिकारी के निर्णय के अधीन होगा जो कारणों के साथ लिखित रूप में अपना निर्णय दर्ज करेगा।

9. कुछ सरकारी भूमि/राज्य भूमि, कहचराई भूमि, गैर-अंशीय शमिलत भूमि, आदि जिसमें सड़कों, सरकारी भवनों, जल निकायों, कब्रिस्तानों, सामान्य स्थलों आदि के रूप में सार्वजनिक संस्थानों/बुनियादी ढांचे के तहत भूमि शामिल है, पर अतिक्रमण किया गया

है। ऐसी भूमि को स्थान की स्थिति के अनुसार मापा जाएगा और वेक्टरकृत मानचित्र पर लगाया जाएगा। कमी लाल रंग में परिलक्षित होगी। विवाद को उचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा। बाद में, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार मानचित्र को अद्यतन किया जाएगा। राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी किसी भी स्थिति के कारण सर्वेक्षण कार्य न रुके।

10. प्रत्येक भूमि पार्सल को खसरा नंबर के अलावा एक विशिष्ट भूमि पार्सल नंबर (यूएलपी नंबर) सौंपा जाएगा, जिसे विभाग के निर्णय के अनुसार सॉफ्टवेयर रूटीन में भूमि धारक के आधार नंबर के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

11. सरकारी विभाग द्वारा नहरों, रेलवे, वन विभाग आदि के किनारे सीमाओं को परिभाषित करने के लिए लगाए गए पत्थरों को संबंधित विभागों की सहमति से सर्वेक्षण चिह्न के रूप में उपयोग किया जाएगा।

12. कुछ जमीनें सेना, बीएसएफ आदि जैसी सरकारी एजेंसियों के पास किराये के आधार पर हैं, ऐसी जमीनों के मानचित्र को एजेंसियों के पास उपलब्ध रिकॉर्ड (यदि है) के मुकाबले पहले से मौजूद वेक्टराइज्ड मानचित्र की सहायता से अद्यतन किया जा सकता है।

13. सर्वेक्षक/गिरदावर/पटवारी निचले दाएं कोने में भूमि पार्सल मानचित्र पर हस्ताक्षर करेंगे और सर्वेक्षण की समाप्ति तिथि दर्ज करेंगे। साथ ही, फील्ड रजिस्टर/भूमि रजिस्टर और भूमि पार्सल मानचित्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रत्येक भूमि जोत के लिए भूमि पार्सल मानचित्र निर्धारित प्रारूप में और प्रत्येक शीर्ष के भू-निर्देशांक को दर्शाने वाले पैमाने पर तैयार किया जाएगा। क्षेत्र के बिंदु आईडी और स्थलाकृतिक विवरण के साथ सभी शीर्षों के भू-निर्देशांक सहित भूमि पार्सल मानचित्र तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा।

14. जैसे ही सर्वेक्षण आगे बढ़ता है या प्रत्येक भूमि पार्सल का सीमांकन पूरा होने पर, फ़ील्ड रजिस्टर/खसरा विवरण रजिस्टर फॉर्म -9 में तैयार किया जाएगा, भूमि पार्सल संख्या को सबसे पहले चौमिंडा से पेंसिल में दर्ज किया जाएगा। फील्ड रजिस्टर तैयार करते समय सबसे ज्यादा सावधानी की आवश्यकता नए खसरा नंबर के मुकाबले मौजूदा खसरा नंबर का पता लगाने में होती है। साथ ही, पटवारी निर्धारित भौतिक प्रारूप में फील्ड रजिस्टर भी लिखेगा। सर्वेक्षक/पटवारी/गिरदावर फील्ड रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे और अंतिम पृष्ठ पर गुणवत्ता जांच के लिए नामित

प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

15. जमाबंदी में दर्ज भूमिधरी की प्रत्येक प्रविष्टि खेत रजिस्टर/खसरा विवरण रजिस्टर में भरी जायेगी। विक्रेता डिजीटल जमाबंदी से फील्ड रजिस्टर/खसरा विवरण के कॉलम 1 से 13 तक की प्रविष्टियां निकालेगा और उसे प्रदाता के अनुसार सॉफ्टवेयर में एकीकृत किया जाएगा।

16. जमाबंदी में प्रविष्टियों को यथावत स्वीकार किया जाएगा और यदि मौके पर कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसे विसंगति रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, उक्त प्रविष्टि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण तक वेब जी.आई.एस. फील्ड रजिस्टर/खसरा विवरण रजिस्टर में लाल स्याही से रंग दिया जाएगा।

17. स्थान कार्य में पाई गई किसी भी चूक या विसंगतियों को सुधारा जाएगा और संबंधित रिकॉर्ड में भरा जाएगा।

18. सभी आयाम केवल मीट्रिक प्रणाली में होंगे और भूमि का क्षेत्रफल कनाल, मरला और वर्ग फुट में परिवर्तित वर्ग मीटर में होगा।

19. जीएनएसएस रिसीवर का उपयोग करके भू-निर्देशांक का अवलोकन प्रत्येक दिन जीसीपी अवलोकन की शुरुआत और समापन से आरंभ होगा। सीमाओं का माप भू-निर्देशांक से उत्पन्न किया जाएगा जो निर्धारित सॉफ़्टवेयर में दिए गए विनिर्देशों के जीएनएसएस रिसीवर का उपयोग करके देखा जाता है।

20. भूमि खंड की प्रत्येक निर्धारित सीमा को भू-निर्देशांक के लिए मापा जाएगा। इस प्रकार उत्पन्न और रिकॉर्ड किए गए भू-निर्देशांक को किसी भी समय बहुत सटीक रूप से जमीन पर रखा या रिले किया जा सकता है। प्रत्येक भूमि पार्सल के क्षेत्रफल की गणना निर्धारित सीएडी आधारित सॉफ्टवेयर में सर्वेक्षक द्वारा की जानी होगी।

21. भूमि खंड के भू-निर्देशांक का अवलोकन तब तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक भूमि खंड के सभी शीर्षों को सर्वेक्षण चिह्नों के साथ जमीन पर सीमांकित नहीं किया गया है।

22. भूमि पार्सल को सर्वेक्षण संख्या के क्रमानुसार मापा जाना चाहिए। भूमि पार्सल के शीर्षों को 1,2,3,4,5 जैसे अनुक्रम में विधिवत बिंदु आईडी निर्दिष्ट करके मापा जाना चाहिए और बिंदुओं के जुड़ने का क्रम भूमि खंड के बहुभुज को बंद करने के लिए फ़ील्ड

रजिस्टर में 1-2-3-4-5-1 के रूप में नोट किया जाना चाहिए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

23. सर्वेक्षक यह देखने के लिए सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करेगा कि दो भूमि खंडों के बीच सामान्य बिंदुओं या सीमा को केवल एक बार मापा जाए ताकि ऐसे सामान्य बिंदुओं या सीमाओं के लिए दर्ज किए गए मापों के बीच कोई अंतर न हो।

24. जहां पार्सल वर्टेक्स पर घनी झाड़ियों, पानी के साथ बाढ़, सैटेलाइट सिग्नल के लिए बाधाओं आदि के कारण जीएनएसएस रिसीवर को खड़ा करना संभव नहीं है, वहां निम्नलिखित सर्वेक्षण तकनीकों को अपनाया जाएगा।

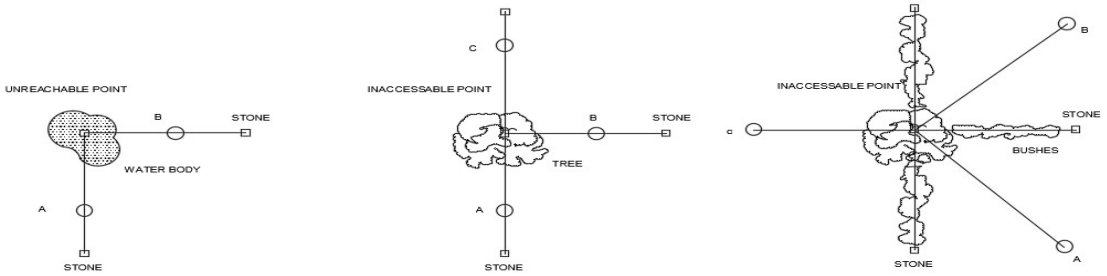

25. वन अभ्यारण्य के भीतर बाड़े और अन्य अलग भूमि खंड, चाहे वे गांव की सीमा के भीतर या बाहर स्थित हों, उन्हें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक भू-समन्वय पूर्ण भू-स्थिति बताता है।

26. मानचित्र में जलधाराओं की दिशा बताने वाले तीर अंकित किये जाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तीर की दिशा धारा की दिशा को सही ढंग से दिखाए।

27. प्रत्येक गांव-स्थल, टोले, तालाब, पहाड़ी, नदी, चैनल या अन्य विशिष्ट नाम वाली स्थलाकृति भूमि पार्सल मानचित्र में दर्ज किया जाना चाहिए और इसकी सही वर्तनी सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए।

28. जैसे ही प्रत्येक भूमि पार्सल को मापा जाता है, उसकी एक योजना को भू-निर्देशांक के साथ एक निर्धारित प्रारूप में सर्वेक्षक द्वारा उपयुक्त पैमाने पर प्लॉट किया जाना चाहिए। यथाविधि, पृष्ठ का शीर्ष उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, तो उत्तर बिंदु रेखा खींची जानी चाहिए।

29. भूमि जोतों को उनके भूमि पार्सल संख्या के क्रमागत क्रम में भूमि पार्सल मानचित्र प्रारूप में प्लॉट किया जाना चाहिए। प्रत्येक भूमि पार्सल मानचित्र के नीचे पैमाना

अंकित किया जाना चाहिए।

30. जैसे ही किसी गांव में भूमि खंडों की माप चल रही है, पटवारी उसी समय फ़ील्ड रजिस्टर/खसरा विवरण लिखेगा। भूमि धारकों द्वारा जिन शीर्षों (बिंदुओं) को सर्वेक्षण पत्थरों/स्तंभों से सुरक्षित किया गया है, उन्हें लाल घेरे से चिह्नित किया जाना चाहिए।

अध्याय-V

निरीक्षण/गुणवत्ता जांच

1. पटवारी फील्ड में सर्वेक्षक के साथ जाएगा और वास्तविक समय के आधार पर **100%** सर्वेक्षण बिंदुओं का सत्यापन करेगा। अन्य अधिकारी भी सर्वेक्षक द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता की जांच सभी मानकों पर करेंगे। ग्राम स्तर पर गुणवत्ता जांच के प्रतिशत का वितरण इस प्रकार होगा:

   a) गिरदावर/पटवारी =**100%**

   ख) नायब तहसीलदार = **20%**

   ग)तहसीलदार = **10%**

2. नामित गुणवत्ता जांच प्राधिकारी को यह देखना होगा कि:

   ए) स्थान का स्केच साफ-सुथरा और पूर्ण है और सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित है।

   ख) गांव की सीमा रेखा जमीन की स्थिति से मेल खा रही है।

   ग) सीमांकित सीमा के लिए देखे गए भू-निर्देशांक की सटीकता।

   घ) जमीन के साथ-साथ जमाबंदी में भूमि जोत का विवरण, मालिकों/कब्जाधारियों की जानकारी के साथ-साथ नक्शा और खेत रजिस्टर/खसरा पैमाइश रजिस्टर सहित अन्य रजिस्टरों में सही ढंग से दर्ज किया गया है।

   ई) जमीन पर वास्तविक सीमा से दर्ज गांव की सीमा की माप में **5%** से अधिक विचलन को त्रुटि माना जाएगा। फील्ड रजिस्टर/खसरा पैमाइश रजिस्टर में प्रत्येक चूक को त्रुटि माना जाएगा।

3. गुणवत्ता जांच प्राधिकारी अनिवार्य रूप से सभी भूमि खंडों की गुणवत्ता जांच करेंगे:

   क) जहां पुनर्सर्वेक्षण में दर्ज और मापे गए क्षेत्र में बड़ी भिन्नता है।

ख) भूमि जोत जिसे विभिन्न कारणों से मापना कठिन है।

ग) सरकारी भूमि से सटी भूमि जोत।

घ) वन भूमि से सटी भूमि जोत।

ई) अंतरराज्यीय सीमाएँ

च) वे गाँव जो परियोजना क्षेत्रों में आंशिक रूप से इस्तेमाल में हैं।

छ) सरकारी भूमि जहां क्षेत्रफल भिन्नता 5% से अधिक है।

ज) भूमि जो पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

झ) भूमि जो विवाद में हैं और पुन: सर्वेक्षण शुरू होने से पहले सक्षम प्राधिकारियों/सिविल न्यायालयों में लंबित हैं।

4. निम्नलिखित को सीमांकन एवं माप में त्रुटि माना जायेगा:

   क) पत्थरों को खड़ा करने या मरम्मत करने में चूक।

   ख) गलत स्थिति में पत्थरों को खड़ा करना।

   ग) सीमांकित बिंदुओं के भू-निर्देशांक को हटाना/मिटाना।

5. पुनः सर्वेक्षण में सीमांकन एवं पैमाइश के समय खेत रजिस्टर/खसरा पैमाइश रजिस्टर में प्रविष्टियों की जांच पटवारी/गिरदावर द्वारा उसी समय की जायेगी। वे देखेंगे कि फील्ड रजिस्टर सही ढंग से लिखा गया है या नहीं।

6. सीमांकन या सीमाओं की माप में सभी त्रुटियों को सुधारा जाएगा। सभी चूक (जमीनी स्तर पर और रिकॉर्ड दोनों में), जहां कहीं भी हों, पटवारी/गिरदावर द्वारा अपना नाम और तारीख के साथ हस्ताक्षर करके पूरी की जाएंगी।

7. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गुणवत्ता जांच इस प्रकार की जायेगी कि कोई भी गांव इस परीक्षण से वंचित न रह जाये।
8. गुणवत्ता जांच उद्देश्यों के लिए, जीएनएसएस रोवर और अन्य उपकरणों के साथ एक सर्वेक्षक हमेशा नायब तहसीलदार/तहसीलदार या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ रहेगा।
9. जब किसी अधिकारी द्वारा ग्राम की सीमा के लिए कोई अनुभाग आयोजित किया जाता है तो फॉर्म-16 में गुणवत्ता जांच रिपोर्ट लिखी जाएगी।
10. गुणवत्ता जांच प्राधिकारी जीएनएसएस रिसीवर और निरीक्षण के दौरान प्राप्त भू-निर्देशांक का उपयोग करके प्राथमिकता के आधार पर यादृच्छिक रूप से चयनित भूमि पार्सल की भू-स्थिति का निरीक्षण करेगा।

11. किसी क्षेत्र की सीमा के रैखिक माप में पाई गई विसंगति को निम्नलिखित तरीके से त्रुटियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यदि मापे गए प्रति 100 अंक पर त्रुटियों की संख्या है;

5 से कम	अच्छा
5 से 10 तक	ठीक
10 से अधिक	खराब

12. सर्वेक्षक के कार्य की गुणवत्ता निर्धारित करने की इकाई ग्राम होगी।

13. "खराब" के रूप में वर्गीकृत कार्य को, नियमानुसार, पुनरीक्षण के लिए आदेशित जाएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले, नामित प्राधिकारी संतुष्टि कर लेगा कि त्रुटियों की प्रकृति ऐसी है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है।

14. यदि कोई गुणवत्ता जांच प्राधिकारी भौतिक प्रतिलिपि में सुधार करता है, तो ऐसे सुधारों को मूल प्रविष्टि के ठीक ऊपर रिकॉर्डिंग करके मूल प्रविष्टि को पूर्णांकित करके और उस पर पदनाम और तारीख के साथ हस्ताक्षर करके किया जाएगा। यह विधि माप और फ़ील्ड रजिस्टर सुधार या किसी अन्य नए रजिस्टर/मानचित्र दोनों के लिए अपनाई जाएगी। तारीख के साथ नाम, हस्ताक्षर/आद्यक्षर और शामिल सुधार लाल स्याही से किए जाएंगे।

15. किसी ग्राम के खेत रजिस्टर/खसरा पैमाइश रजिस्टर में पाई गई त्रुटियों को निम्न प्रकार से त्रुटियों की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि प्रति 100 प्रविष्टियों में त्रुटियों की संख्या निमन्वत है;

5 से कम	अच्छा
5 से 10 तक	ठीक
10 से अधिक	खराब

16. नामित गुणवत्ता जांच प्राधिकरण उपरोक्त नियम के संदर्भ में सर्वेक्षक द्वारा एकत्र की गई या इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गई भौतिक सामग्री के संदर्भ में फील्ड रजिस्टर में दर्ज साक्ष्य की पुष्टि करेगा।

17. नामित गुणवत्ता जांच प्राधिकारी फील्ड रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ पर नाम, हस्ताक्षर, पदनाम और तारीख के साथ किए गए सुधारों की संख्या का विधिवत उल्लेख करते हुए एक संक्षिप्त नोट लिखेगा।

18. सर्वेक्षक द्वारा दर्ज किए गए मापों की सटीकता का परीक्षण सभी नामित गुणवत्ता जांच प्राधिकारियों द्वारा उनके प्रतिशत और जांच सूची के अनुसार किया जाएगा।

19.फील्ड निरीक्षण के पूरा होने पर, नामित गुणवत्ता जांच प्राधिकरण फील्ड रजिस्टर और भूमि पार्सल मानचित्र में उसी के संबंध में एक संक्षिप्त नोट के साथ सुधार, यदि कोई हो, शामिल कराएगा।

अध्याय VI
सर्वेक्षण के बाद की गतिविधियाँ
प्रारूप प्रकाशन के लिए अभिलेख तैयार करना

1. ड्राफ्ट खतूनी/ड्राफ्ट पासबुक तैयार करना: सुधार करने के बाद, सर्वेक्षक ड्राफ्ट लैंड पार्सल मैप और फील्ड रजिस्टर तैयार करेगा और ड्राफ्ट खतूनी /पास बुक बनाने के लिए दोनों को एकीकृत करेगा। (पासबुक: भूमि राजस्व अधिनियम के अनुसार)

2. आपत्तियां प्राप्त करने के लिए इन खतूनी/ड्राफ्ट पासबुक को भूमि धारकों /सरकारी विभागों को वितरित किया जाएगा। और प्राप्त आपत्तियों का निपटान अध्याय VI के अनुसार किया जाएगा।

3. जीसीपी/सेहदा पत्थरों/खंभों का रजिस्टर: सर्वेक्षक/विक्रेता फॉर्म 13 में जीसीपी/सेहदा पत्थरों/खंभों का रजिस्टर तैयार करेंगे (उच्च परिशुद्धता के भू-निर्देशांक वाले जीसीपी को 11 अंकों की एक विशिष्ट आईडी सौंपी जाएगी)।

4. भूमि पार्सल नक्शा/गांव का नक्शा: विक्रेता को एक गांव के लिए फॉर्म -8 में भूमि पार्सल नक्शा भी तैयार करना होगा।

5. प्रत्येक गांव के लिए एक फील्ड रजिस्टर / खसरा पैमाइश रजिस्टर फॉर्म -13 में तैयार किया जाएगा।

6. फॉर्म 14 में एक विसंगति रजिस्टर तैयार किया जाएगा ।

अध्याय VII
सीमा/सर्वेक्षण/जमाबंदी आंकड़ों पर आपत्तियों का निपटान

1. सभी मामलों को सार्वजनिक शिविरों में निपटाया जाएगा और यदि संभव हो तो कार्यवाही को वेब कास्ट भी किया जाएगा। दो प्रकार के मामले निपटान के लिए नामित अधिकारियों के समक्ष आएंगे।

क) पुनर्सर्वेक्षण/सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियां

ख) मसौदा प्रकाशन के बाद प्राप्त आपत्तियां ।

2. वर्ग (ए) के अंतर्गत आने वाले मामले होंगे: -

क) तहसील स्तरीय समिति (टीएलसी) जिसमें एसडीएम/एसीआर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार शामिल हैं। समिति संबंधित गांवों के सार्वजनिक शिविरों में आपत्तियों की सुनवाई करेगी और उनका निस्तारण करेगी। शिविर आवश्यक रूप से 200 से 400 पार्सल की माप के बाद आयोजित किया जाएगा।

ख) यदि तहसील स्तरीय समिति की राय में मामला उसकी क्षमता के भीतर नहीं है, तो वह इस मामले को जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) को भेजेंगे जिसमें एडीसी (सेटलमेंट) एसीआर/एसडीएम/तहसीलदार मुख्यालय और जम्मू/श्रीनगर जिलों के उपायुक्तों द्वारा नामित अधिकारी भी शामिल होगा। समिति संबंधित गांवों के सार्वजनिक शिविरों में आपत्तियां की सुनवाई करेंगे । शिविर आवश्यक रूप से 400 से 800 पार्सल की माप के बाद आयोजित किया जाएगा।

3. खंड (बी) के तहत मामले:-

खतूनी/ड्राफ्ट पास बुक के प्रकाशन के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। ये आपत्तियां प्रारूप के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर तहसील स्तरीय समिति के समक्ष दर्ज की जाएंगी।

4. सुनवाई करते समय, नोटिस जारी करते समय , साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग करते समय और आपत्तियों का निपटान करते समय, तहसील स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति ,जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम, 1996 संवत में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी।

5. तहसील स्तरीय समिति सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण करते समय और विवादित सीमाओं का निर्णय लेते समय आपत्तियां प्राप्त करेगी और विवादित सीमाओं पर निर्णय लेने के बाद, यह अपना निर्णय लिखित रूप में दर्ज करेगी।
7. जहां विवाद सरकारी/वन या अन्य विभाग से संबंधित हो तो सुनवाई के दौरान उस विभाग के जिला प्रमुख या नोडल अधिकारी को उपस्थित रहना होगा।
8. तहसील स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति के आदेश को अभिलेखों में लागू किया जायेगा और इस का प्रमाण पत्र भी बनाया जायेगा।
9. किसी विवाद की सुनवाई के दौरान दर्ज किए गए बयानों और दस्तावेजों की प्रतियां और साक्ष्य के ज्ञापन को स्कैन और संरक्षित किया जाएगा।

10. पुनर्सर्वेक्षण में, मूल सर्वेक्षण रिकॉर्ड आदेश या निर्णय के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का हिस्सा बनेंगे।
11. मूल फ़ील्ड रजिस्टर को सक्षम अधिकारियों के निर्णयों के परिणामस्वरूप सही या अद्यतन नहीं किया जाएगा क्योंकि यह भूमिधारकों की उपस्थिति में सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण करते समय तैयार किए गए फ़ील्ड डेटा की मास्टर कॉपी है।

12. पटवारी सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण या क्षेत्र में कोई अन्य जानकारी एकत्र करने के दौरान प्राप्त आपत्तियों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा ताकि तहसील स्तरीय समिति द्वारा निपटान किया जा सके।
13. तहसील स्तरीय समिति से जुड़ा सर्वेक्षक विवादित सीमाओं का तब सर्वेक्षण करेगा, जब सर्वेक्षण करते समय ऐसी सीमाओं पर आपत्तियां निर्णय के लिए आएंगी।
14. आपत्तिकर्ता अपने एजेंट को लिखित सहमति के साथ आपत्तियां दर्ज करने और ऐसी अपील के निपटान के लिए सभी उद्देश्यों के लिए अपनी ओर से मामले में उपस्थित होने के लिए अधिकृत कर सकता है।

अध्याय VIII
अभिलेखों का अंतिम प्रकाशन

1. अभिलेखों के प्रारूप प्रकाशन के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों का निपटान कर निर्णयों को सम्बन्धित रजिस्टरों में दर्ज किया जायेगा।
2. इसके बाद, आरओआर के साथ एकीकृत अंतिम भूमि पार्सल नक्शा: /ग्राम नक्शा: /मसावी प्रकाशित किया जाएगा।
3. सभी भूमि पार्सल नक्शा, ग्राम नक्शा: जीसीपी का रजिस्टर एक सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
4. निम्नलिखित ग्रामवार रिकॉर्ड केंद्रीय रिकॉर्ड कक्ष को भेजे जाएंगे:

1. ट्रैवर्स डेटा।
2. ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थान डेटा।
3. भूमि पार्सल मानचित्र /ग्राम मानचित्र।
4. खेत रजिस्टर/खसरा पैमाइश रजिस्टर
5. खतूनी/ड्राफ्ट पास बुक
6. आरओआर.
7. अंतिम गुणवत्ता जांच रिपोर्ट।
8. गाँव का रिकार्ड पटवारी/तहसील के साथ।

अध्याय IX

मापक: मानचित्रण मानक

भू-समन्वय प्रणाली में भूमि पार्सल का मापक अप्रासंगिक है क्योंकि प्रत्येक शीर्ष के भू-निर्देशांक और सीमाओं के माप दोनों दिखाए गए हैं, हालांकि एकरूपता बनाए रखने के लिए, एलपीएम को 1: 500 से 1000 तक के निर्धारित मापक पर प्लॉट किया जाएगा।

1. व्यक्तिगत भूमि पार्सल नक्शा: (ग्रामीण): 1:1000
2. व्यक्तिगत भूमि पार्सल नक्शा (अधिसूचित शहरी क्षेत्र): 1:500
3. गांव का नक्शा: 1: 2640
4. CORS नेटवर्क का सूचकांक नक्शा: 1: 1,00,000

. 2. भूमि पार्सल संख्या:

1. भूमि पार्सल संख्या आकार 14
2. आधार बिंदु संकेतन फॉन्ट आकार 16
3. सीमा रेखा की मोटाई 11
4. माप फ़ॉन्ट आकार 10

3. भू-निर्देशांक:

1. भू-निर्देशांक फ़ॉन्ट आकार 12
2. आधार बिंदु संकेतन आकार 12
3. टेबल में पंक्ति की ऊँचाई 20

4. टोपो विवरण:

1. बिन्दु सुविधा का आकार 18 से 20
2. रेखाओं की मोटाई 10

5. सभी फॉन्ट एरियल में होने चाहिए।

6. विभिन्न प्रकार के पत्थरों/चिह्नों के लिए स्केच में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक अनुलग्नक -1 में दिए गए हैं।

7. अनुलग्नक-2 में सूचीबद्ध सभी टोपो विवरणों को भू-निर्देशांक के लिए देखा जाना और दर्ज किया जाना चाहिए।

अध्याय - X

सद्भावनावश की गई कार्रवाई का संरक्षण

1. इस मैनुअल के तहत सद्भावनावश किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक वित्तीय आयुक्त राजस्व, संघ राज्य लद्दाख कार्रवाई की

सिफारिश नहीं करता, तब तक वह प्रतिकूल दृष्टिकोण अपना सकता है और उक्त अधिकारी/कर्मचारी या सर्वेक्षक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।

2. वित्तीय आयुक्त राजस्व, संघ राज्य लद्दाख की पूर्वानुमति के बिना इस सर्वेक्षण नियमावली के तहत किए गए कार्यों की कोई जांच नहीं की जाएगी।

3. भू-राजस्व अधिनियम 1939, एडी की धारा 139 के अनुसार, कोई भी सिविल न्यायालय इस सर्वेक्षण नियमावली के तहत किये गये या किये जाने वाले किसी भी कार्य पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करेगा ।

<u>प्रपत्र</u>

<u>प्रपत्र</u> 1

सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण अनुसूची

जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1939 एडी धारा 101 के तहत अनुसूची अधिसूचना

संख्या_____ दिनांक_____ के तहत जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसरण में, जिला _____ की तहसील_____ के संबंध में सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण की अनुसूची निम्नानुसार अधिसूचित की जाती है:

क्र.सं	गांव का नाम	सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण प्रारंभ होने की तिथि	गाँव के साथ सीमा सांझा करने वाली अन्य तहसीलों के गाँवों के नाम	गाँव की सीमा को छूने वाले अन्य गाँवों के तहसीलों के नाम
1.				
2.				
3.				

नोट: अन्य तहसील के गांव के पटवारी, जिनकी सीमा उस गांव को छूती है, जिनका पुन: सर्वेक्षण किया जा रहा है, वे सामान्य सीमा के निर्धारण के दौरान आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।

स्थान :
हस्ताक्षर :
दिनांक :
नाम :

पद का नाम :

<u>प्रपत्र</u> संख्या- 2

ग्राम सीमा के सर्वेक्षण/पुनर्निर्धारण के बाद जीओ कोड वाले पत्थरों के स्थान के साथ गांव/तहसील सीमा का नक्शा

विक्रेता द्वारा प्रदान किया जाएगा

<u>प्रपत्र -3</u>

<u>लगाए गए सर्वेक्षण चिह्नों का विवरण</u>

गाँव :

तहसील:

ज़िला

लगाए गए सेहदा पत्थरों की संख्या		**लगाए गए सीमा स्तंभ की संख्या**		**टिप्पणियाँ पुरानी/नई**
मौजूदा	नवरोपित	मौजूदा	नवरोपित	
(1a)	(1b)	(2a)	(2b)	(3)

इनके द्वारा तैयार: इनके द्वारा जांचा गया: इनके द्वारा अनुमोदित:

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

नाम :

पद का नाम :

प्रपत्र -4

सरकारी भूमि से संबंधित विभाग/संस्था/अधिकारी को सूचना

को

_____

_____

आपसे अनुरोध है कि आप उपस्थित रहें और सीमा की पहचान कराये और ऐसी जानकारी प्रदान करें और ऐसी सहायता प्रदान करें जो आवश्यक हो।

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

नाम :

पद का नाम :

प्रपत्र 4 (ए)

पावती

मैं उल्लिखित अनुसूची के अनुसार क्षेत्र सीमांकन के लिए दिनांक .....नोटिस की प्राप्ति को स्वीकार करता हूं।

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

नाम :

पद का नाम :

प्रपत्र -5

क्षेत्र सीमा का सीमांकन करते समय आपत्ति दर्ज करने के लिए आवेदन

को

महोदय/ महोदया,

मुझे अपनी भूमि की सीमाओं को दिखाने के लिए सर्वेक्षण संख्या: _____ दिनांक _____ पर उपस्थित होने के लिए नोटिस मिला है। सीमांकन के दौरान, मैंने अपनी भूमि की सीमा के पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण की ओर के लिए नीचे उल्लिखित आपत्तियां उठाईं हैं । इसलिए, मैं अपने सीमा विवाद को जल्द से जल्द दस्तावेजों/सर्वेक्षण रिकॉर्ड का हवाला देकर हल करने का अनुरोध करता हूं।

भवदीय

भू-धारक के हस्ताक्षर।

पता_____

_____

_____

_____

<u>प्रपत्र 5 (ए)</u>

<u>पावती</u>

मैं सर्वेक्षण में श्री ..... द्वारा क्षेत्र की सीमा का सीमांकन करते समय आपत्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति स्वीकार करता हूं संख्या .....ग्राम: ....., तहसील.....जिला: ..... प्रपत्र में -11

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

नाम :

पद का नाम :

प्रपत्र संख्या -6

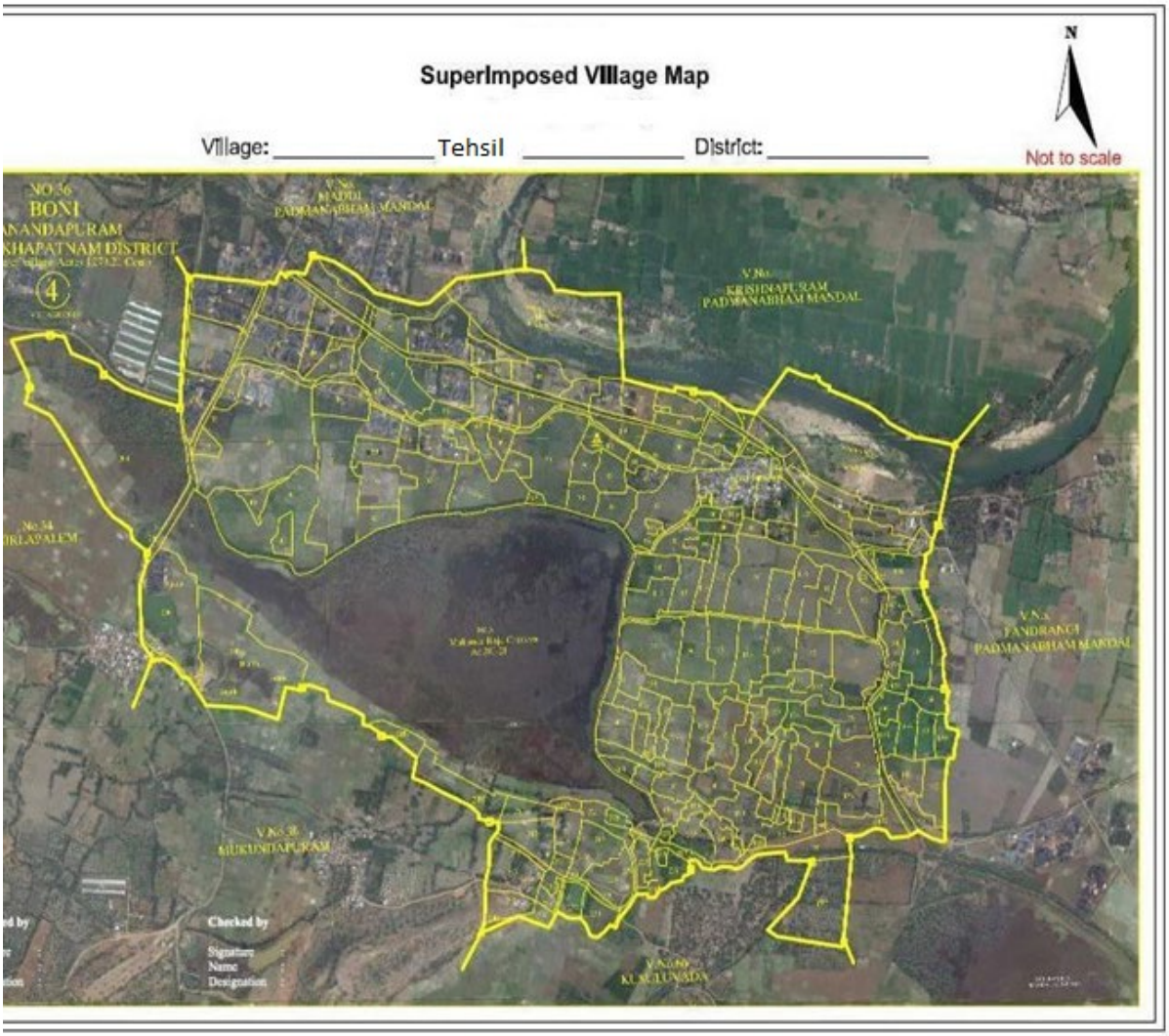

SuperImposed Village Map
Village: ____________ Tehsil ____________ District: ____________
N
Not to scale
BONI
KRISHNAPURAM
PADMANABHAM MANDAL
PANDRANGI
PADMANABHAM MANDAL
MUKUNDAPURAM
Checked by
Signature
Name
Designation

प्रपत्र संख्या -7

ROUGH LOCATION SKETCH

Village: _____ Tehsil _____ District: _____

N

Not to scale

Location of land holdings in Sy. No. 39

प्रपत्र संख्या-8

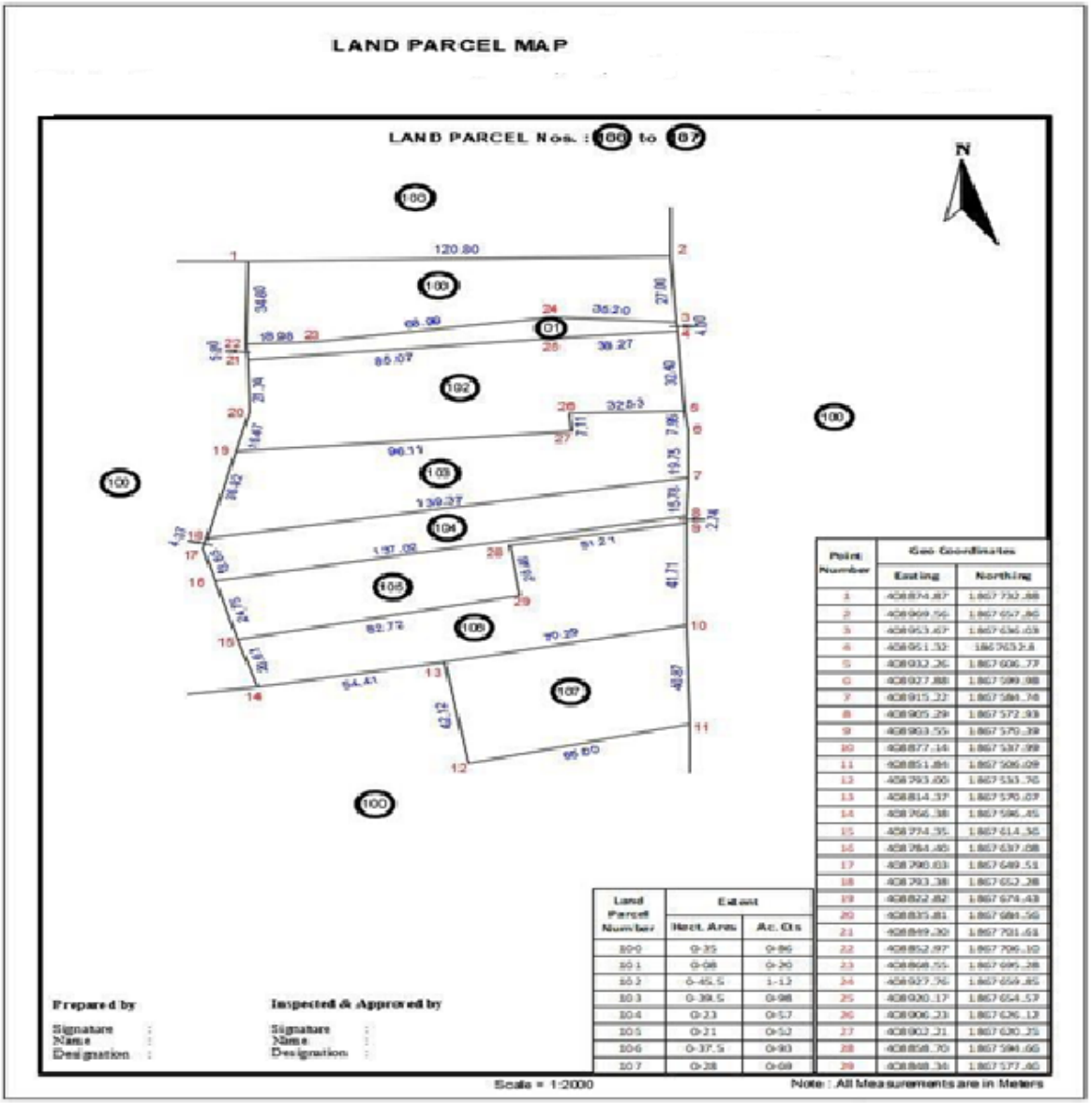

LAND PARCEL MAP

Point Number	Geo Coordinates	
	Easting	Northing
1	408874.87	1867732.88
2	408969.56	1867657.86
3	408953.67	1867636.03
4	408951.32	1867632.6
5	408932.26	1867606.77
6	408927.88	1867599.98
7	408915.32	1867584.78
8	408905.29	1867572.93
9	408903.55	1867570.39
10	408877.14	1867537.99
11	408851.84	1867506.09
12	408793.00	1867533.78
13	408814.37	1867570.07
14	408766.38	1867586.85
15	408774.35	1867614.56
16	408784.85	1867637.08
17	408790.03	1867649.51
18	408793.38	1867652.28
19	408822.82	1867674.43
20	408835.81	1867684.56
21	408849.30	1867701.61
22	408852.97	1867706.10
23	408868.55	1867695.28
24	408927.76	1867659.85
25	408930.17	1867654.57
26	408906.23	1867626.12
27	408903.21	1867620.35
28	408858.70	1867594.66
29	408848.34	1867577.40

Land Parcel Number	Extent	
	Hect. Area	Ac. Cts
100	0-35	0-86
101	0-08	0-20
102	0-45.5	1-12
103	0-39.5	0-98
104	0-23	0-57
105	0-21	0-52
106	0-37.5	0-93
107	0-28	0-69

Prepared by

Signature :
Name :
Designation :

Inspected & Approved by

Signature :
Name :
Designation :

Scale = 1:2000

Note : All Measurements are in Meters

<u>प्रपत्र संख्या-9</u>

खसरा संख्या	भूमि धारक का नाम विवरण सहित	क्षेत्रफल वर्ग मीटर	पार्सल का रफ स्केच
1	2	3	4

<u>प्रपत्र संख्या-10</u>

<u>ग्राम सीमा गुणवत्ता जांच रिपोर्ट</u>

मैंने दिनांक: ----------को ---------- की उपस्थिति में----------और --------- गांवों तहसील------- जिला.....के बीच की सीमा की गुणवत्ता जांच की है तथा निरीक्षण का विवरण इस प्रकार है:

1. सर्वेक्षक द्वारा उपयोग किए गए जीएनएसएस रोवरकोड:
2. गुणवत्ता जांच अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले जीएनएसएस रोवर कोड:
3. क्या दोनों जीएनएसएस रोवर्स का डेटा एक समान है कि नहीं, हां/नहीं।
   टिप्पणियाँ (यदि नहीं है तो):
4. क्या निरीक्षण के दौरान सीमाओं में कोई ओवर-लैपिंग/अंतराल देखा गया है
5. ग्राम सर्वेक्षक द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता क्या है
6. मूल सीमा के विचलन के कारण
7. क्या परिणाम मानदंडों के अनुसार प्राप्त हुआ या नहीं
8. कम/ज्यादा आने के कारण
9. क्या गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के अनुसार सुधार किए गए हैं
10. उपस्थित सुधारों का विवरण
11. गुणवत्ता जांच प्राधिकारी द्वारा सुधार का प्रमाण पत्र

क्र.सं.	ग्राम सर्वेक्षक सर्वेक्षण के अनुसार		गुणवत्ता जांच के अनुसार		टिप्पणी
1	सर्वेक्षण पत्थरों की कुल संख्या	सर्वेक्षण चिह्नों का विवरण	निरीक्षण किए गए पत्थरों की संख्या	सर्वेक्षण चिह्नों का विवरण	
2.	सर्वेक्षण चिह्नों के जियो कोड		सर्वेक्षण के समय देखे गए जियो कोड		

इन के द्वारा गुणवत्ता की जांच:

हस्ताक्षर:

नाम:

पद का नाम:

फार्म -11

अभिलेखों की अंतिम जांच पर रिपोर्ट

ज़िला :…… तहसील : …… ग्राम : ……

क्षेत्र सर्वेक्षण	गुणवत्ता जांच
1. क्षेत्रफल पुराना : पुनः सर्वेक्षण:: 2. भूमि पार्सल मानचित्रों की संख्या पुराना पुन: सर्वेक्षण 3. क्या मौजूदा सर्वेक्षण संख्याओं का पुनः सर्वेक्षण किया गया है। 4. क्या गांव के अंदर सभी भूमि जोत का सर्वेक्षण किया गया है। 5. क्या सभी सरकारी भूमि का सर्वेक्षण मौजूदा भूमि रिकॉर्ड के संदर्भ में किया जाता है। यदि कोई विचलन पाया जाता है तो टिप्पणी सहित उल्लेख करें। 6. क्या स्टोन रजिस्टर तैयार किये गये हैं? 7. क्या सभी भूमि पार्सल मानचित्र विशिष्टताओं और पैमाने के अनुसार प्लॉट किए गए हैं। 8. क्या गांव का नक्शा प्लॉट किया गया है.	

स्टेशन:

तारीख: नामित प्राधिकारी

गुणवत्ता जांच

फार्म-12

भूमि धारकों को सूचना

खतौनी/ड्राफ्ट फील्ड बुक

To,

.....,

.....,

.....

संलग्न विवरण गाँव के .....फील्ड रजिस्टर से एक उद्धरण है, जिसमें आपके नाम पर पंजीकृत और सर्वेक्षण की गई भूमि का विवरण दिया गया है। सर्वेक्षण के विरुद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, इस नोटिस की तामील की तारीख से 07 दिनों के भीतर तहसीलदार/नायबतहसीलदार/गिरदावर/पटवारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

जगह:

तारीख:

फॉर्म-**12 (a)**

पावती

मैं दिनांक:..... द्वारा जारी नोटिस की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ

स्थान : हस्ताक्षर :

दिनांक : नाम :

पद का नाम

फार्म -13

ग्रामवार जमीनी नियंत्रण बिंदु (जीसीपी)

निम्नलिखित ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट (जीसीपी) जो प्रकृति में स्थायी हैं और निर्धारित तरीके से संरक्षित और बनाए रखा जाएगा। जीसीपी का उपयोग सभी इच्छुक एजेंसियों/विभागों/व्यक्तियों द्वारा किसी भी भू-स्थानिक सर्वेक्षण के लिए स्थायी संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाएगा। किसी भी तरीके से जीसीपी को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने में शामिल कोई भी व्यक्ति प्रचलित नियमों के तहत एक गंभीर अपराध है।

ज़िला : तहसील :

क्र. सं.	गाँव का नाम	अनोखा ID	भू-निर्देशांक			स्थान का विवरण जीसीपी (स्थान मानचित्र तैयार किया जाए)	टिप्पणी
			नाथिंग	ईस्टिंग	शीर्षबिंदु		
1	*2*	*3*	*4(ए)*	*4(बी)*	*4(सी)*	*5*	*6*

<u>फॉर्म नं. 14</u>

<u>विसंगतियां रजिस्टर</u>

क्र.सं.	विसंगति का प्रकार	विसंगति का विवरण		संकल्प आवश्यक है		अर्ध न्यायिक	टिप्पणी
	1. मिट्टी का प्रकार 2. स्वामित्व 3. अधिभोग 4. क्षेत्रफल 5. अन्य	रेकॉर्ड के तहत	स्थान के अनुसार	तहसील स्तर	ज़िला स्तर		

नोट: विसंगतियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटान तक सभी प्रारूपों/अभिलेखों में लाल स्याही से नोट किया जाएगा।

फॉर्म-15

अंतिम रोबकर

गाँव _____ तहसील_____ ज़िला _____ प्रभाग _____.

यह मिसल अधिसूचना संख्या _____ दिनांक _____ के अनुसार और निपटान अधिकारी _____ प्रभाग संख्या _____ दिनांक _____ के तहत जारी आदेश के अनुपालन में तैयार की गई है। इस मिसल को तैयार करने का काम _____ को शुरू हुआ और सभी प्रकार से _____ को पूरा हुआ। मिसल हर दृष्टि से पूर्ण है। अत: यह आदेश दिया जाता है कि आर.ओ. आर को सभी अनुलग्नकों (कंप्यूटर प्रिंट) के साथ सेटलमेंट रिकॉर्ड रूम जम्मू/श्रीनगर में जमा किया जाए।

दिनांक _____

बंदोबस्त अधिकारी

_____ .

प्रतीक

Survey Symbols

ANNEXURE-I

1		Modern series
2		Jammu Kashmir Suvey
3		Village boundary station
4		Village trijunction station
5		Khandam station
6		Minor circuit station
7		Theodolite station Town survey
8		Chain survey station Town survey
9		National Highways
10		Field stone Town survey
11		Rock mark
12		Forest cairn or pillar
13		Village boundary
14		Survey field boundary
15		Boundary of the units in the grouped village
16		Ground Control Point

Topo Details

ANNEXURE-II

[Rule-59, Chapter-IV]

1		Tiled or terraced house
2		Thatched house
3		Temple
4		Mosque
5		Church
6		Fort
7		Light house
8		Foot Path
9		Cart track
10		Earthan Road
11		Gravelled raod and mile stone
12		Metalled concrete and black top road
13		River Canal and aqueduct
14		River and stream with anicut
15		Culvert and bridge
16		Ferry
17		Tank

18		Calingula
19		Sluice
20		Square well
21		Round well
22		Broad guage double line
23		Broad guage single line
24		Swamp
25		Salt pan
26		Sand
27		Burial ground
28		Scrub and jungle
29		Limit of rocky ground
30		Electric Transmission Line
31		Electric Power House
32		Electric Sub-Station
33		Mobile Tower
34		Conventional line denoting mid river treated as village boundary with the name of the river on either side of the line
35		Public Toilets

36		Express way
37		Flyover
38		National Highway
39		Cors Base station

शजरा नसब प्रतीक

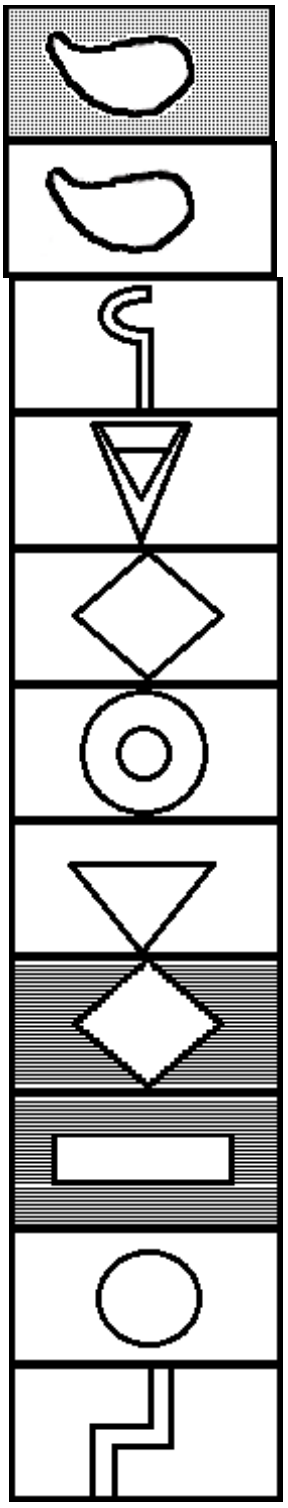

REVENUE DEPARTMENT
Notification

Ladakh, the 18th of September, 2023

S.O. 75: - In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Jammu and Kashmir Land Revenue Act, Samvat 1996 (1939 A.D.), the Administration of the Union territory of Ladakh hereby notifies the Union territory of Ladakh Standard Operating Procedures for Digitization of Land Records, Regulation, 2023.

By order of the Administration of UT Ladakh.

PAWAN KOTWAL Digitally signed by PAWAN KOTWAL Date: 2023.09.21 20:00:27 +05'30'

(Dr. Pawan Kotwal IAS),
Advisor to the HLG/ Administrative Secretary,
Revenue Department.

No. M-17056(14)/1/2023-Revenue Section Dated: 18.09.2023

INDEX

Chapter No.	Content	Page
I	Preliminaries	1
II	Pre-survey activities	2
III	Survey activities	3
IV	Measurement of Land Parcels	5
V	Inspection and Quality Check	9
VI	Post Survey Activities	12
VII	Disposal of Objections	13
VIII	Final Publication of Records	15
IX	Scales	16
X	Protection of action taken in good faith	17
Form 1	Survey/Re-Survey Schedule	18
Form 2	Map of Village/Tehsil Boundary With Location of Stones with Geo Cods after Survey/Refixation	19
Form 3	Details of Survey Marks Planted	20
Form 4	Notice to the Department / Institution/ officer	21
Form 5	Application to file objection while demarcating field boundary	22
Form 6	Superimposed Village Map	23
Form 7	Rough Location Sketch	24
Form 8	Land Parcel Map	25

Form 9		26
Form 10	Village boundary quality check report	27
Form 11	Report on final examination of records	28
Form 12	Notice to land holders	29
Form 13	Village wise Ground Control Points (GCP's)	30
Form 14	Discrepancies Register	31
Form 15	Final *Robkar*	31
Symbols	Survey Symbols	32

CHAPTER-I

PRELIMINARIES

1. A notification shall be issued by the Government/Competent Authority under section 22 read with section 101 and 98 of Land Revenue Act, 1939 before the conduct of survey/resurvey in any area

2. When the notification has been issued Authority under section 22 read with section 101 and 98 of Land Revenue Act, 1939, the Deputy Commissioner concerned shall publish Schedule for survey/resurvey in **Form-1** in the district.

3. The following documents are required for survey/resurvey in a notified village (both hard and softcopy).

i) Digitized Masavi/ Latha of village Soft Copy.

ii) Chominda/ Rough Sketch in **Form No. 7.**

iii) Field Register/ Khasra details in **Form No. 9 (Column No. 1 to 4)**

iv) The latest updated Jamabandi and Shajra Nasab.

v) Khasra Girdawari Register

vi) List of Ground Control Points (GCPs): Primary/Secondary/Tertiary

CHAPTER II

PRE-SURVEY ACTIVITIES

1. Vectorization of existing Masavi: The vendor shall scan and digitize the current Masavis. The same shall be updated with the assistance of the concerned Patwari. Hard and soft copies of this vectorized Masavi/map will be taken to the field for survey/resurvey purposes.

2. Digitization of updated Jamabandi: The agency (JaKLaRMA) shall provide updated/current Jamabandis to the vendor for data entry/digitization. When the vendor completes the digitization of the Jamabandi, quality check shall be performed by the Revenue officials. However, before finalization, all the mutations attested after the 'Tasdeeq Akhir' shall also be incorporated by the vendor with the help of a customized software. Hard and soft copies of this Jamabamdi shall be taken to the field for survey/resurvey purposes.

3. Public camps by Tehsildar/ Naib Tehsildar: The Tehsildars/ Naib Tehsildars shall hold camps to attest/consolidate all mutations entered after last Jamabandi till the date of notification of the Tehsil.

4. Rough Location Map/ Chominda (Rough Map): The Surveyor shall use superimposed exiting village map on satellite image to use as base map for preparation of location sketch for easy identification of land holdings. The Patwari with the help of vendor/surveyor shall prepare a Rough Location Sketch **(Chominda) in Form-7** duly demarcating each land holding in a systematic manner so that no land parcel is omitted. All the lands such as *Sarkar, Kahcharai, non-partible shamilat* etc. are to be demarcated in the first instance by comparing Map (*Shajra*) of previous settlement and then field wise *Chominda* shall be prepared for the whole estate in the form of *Khaka Dasti* depicting clearly each and every bend on a *maind* (Boundary of a field). This process shall be started from North West corner of the village and end at south east corner, so that none of the Khasra numbers is left out. Each and every field shall be assigned a temporary number in the series and at the same time old *khasra* nos. be recorded. The dimensions of *maind* need not be recorded. Flagging of parcels: With the help of this Chominda, the surveyor shall place flags at all the points of a parcel under the strict supervision of the Patwari who has been assigned the village so that no time is wasted while surveying the plots.

CHAPTER–III
SURVEY ACTIVITIES
VILLAGE BOUNDARY DEMARCATION

15. With the assistance of Patwari, the surveyor shall identify the Village tri/bi junction survey stones which are intact on ground by conducting survey using existing boundary data. The surveyor shall observe Geo-coordinates of at least three such points and convert the existing traverse data into Geo-Coordinates and generate Geo-Coordinates of each traverse point in the system.

16. After generating Geo-coordinates for village traverse, the surveyor shall stack out all the points on ground. Then the village boundary will be re-fixed using map. In this process, if any point/points are found deviated from existing settled boundary point, that point will be test checked with reference to Field Book. If the existing survey mark is intact on ground and the stack out point is found deviated, the existing point will be finalized tore-fix the village boundary with reference to existing data. The Sehada Stones will be fixed at any time during the ongoing survey.

17. While conducting demarcation of the village boundary, if no existing data is available with the help of which the village boundary may be re-fixed or where the boundary demarcated by the revenue authorities does not match with the existing village boundary on the spot, the tentative village boundary shall be re-fixed on the basis of evidence available with the village Panchayat/land holders in concurrence with the Panchayat/land holders of the adjoining village. In such cases, the revenue authorities shall record reasons for doing so and the matter shall be referred to the competent authority for final decision. However, the vendor shall proceed to survey the internal land parcels of the village and shall not halt for the want of decision of the competent authority on village boundary. The departments of the government staking claim of the land near the village boundary shall also be taken on board.

18. The existing survey marks will continue to be survey marks and all missing stones of village tri junction points shall be planted. Every survey stone planted must be firmly imbedded. Not more than one - third of its length should be visible above the ground. The pit to receive the stone should be made slightly larger than the stone and a small quantity of earth put in at a time and well tamped.

19. Afterwards, Geo-coordinates of village boundary including bends will be observed and recorded to generate village boundary map. The same data shall be used for the adjacent villages.

20. The Tehsildars / Naib Tehsildars shall direct the Patwaris on both sides of a boundary about to be re-fixed.

21. If the Village boundary forms the District boundary, the proposed survey of such boundary shall be informed to the concerned district. Geo -coordinates of such boundary will be observed and recorded in presence of the concerned officer of the district. In case of any disagreement, the Regional Director of Survey& Land Records shall conduct survey and such surveyed boundary shall be final.

22. While demarcating/re-fixing the village boundary, the following conditions may arise:

    a. Part of the village was acquired for major irrigation projects under submergence, then the village boundary is limited to the left-over portion of that village and the acquired portion shall be accounted for such project in the name of reservoir of that project.

    b. In general, the natural boundaries are considered as village boundaries in initial surveys. Such natural boundaries like *road*, canal, railway, nala etc., might have expanded, however, the same classification of land shall be taken for the village where the natural boundary was fixed during the initial survey.

    c. There are certain revenue villages which have grown into urban habitations and notified as

local body under appropriate Act. In such case, the notified boundary of such local body shall be surveyed as a part of concerned village but shall be shown separately in different colour with reference to the Gazette notification of that local body.

d. When the river exists between two villages or two districts and the existing position of river may deviate from the recorded data, the river-off shall be taken into account as true village boundary. Wherever river forms Interstate Boundary, existing boundary should be followed.

23. When a river forms the village boundary, stones/pillar should be erected on each bank, and the middle of the river bed will be considered the true boundary, provided, however, that existing rights are not interfered with. That river part shall be formed into one No. and survey stones shall be erected on each bank.

24. If any dispute arises while re-fixing or finalization of village boundary, the matter shall be referred to the Tehsil Level Committee for finalization. It shall be recommended to the District Level Committee if not resolved and decision of District Level Committee shall be final for survey purposes.

25. After completion of village boundary maps, thorough quality checks shall be conducted for overlaps or gaps in the computer by the cartography experts and such lapses shall be rectified before going to field for demarcation.

26. A comparative statement of the existing village area and the new area shall be prepared and scrutinized for variations in area. Wherever, there is a variation of more than 5%, the Tehsil Level Committee shall forward the case to the District Level Committee along with recommendations and its decision shall be final for the survey purposes.

27. Where the land falls within the local limits of notified urban area it is categorized as commercial land or the value of the land exceeds Rs 20 Lakhs per Kanal as per the notified stamp duty rates, any variation above 2% shall be referred to the financial commissioner revenue for appropriate orders.

28. The **Vendor shall provide** the following final records after completion of village boundary map and before going for field survey:
    a) Village/Tehsil Boundary with location of stones and Geo-coordinates after re-fixation of the boundary **(Form 2)**.
    b) Village wise statement of survey marks both existing and newly planted (**Form-3)**.

****

CHAPTER–IV

MEASUREMENT OF LANDS INCLUDING GOVERNMENT/EVACUEE/KAHCHARAI/ COMMON LAND.

31. Before beginning the survey/resurvey work, each official (Government and Private both) will be furnished with information by the Tehsildar.

32. The Patwari/Girdawar should conduct a Gram Sabha in presence of the land holders, Lambardar/Chowkidars and Sarpanch/ Panches/Ward Councilors of that village and explain the schedule and plan of action for conducting survey/resurvey. Such schedule shall be displayed in village panchayat and at two conspicuous places for wide publicity regarding the commencement of the survey/resurvey operations in the village. The Patwari shall intimate the date and time of conducting the GramSabhawell in advance to all interested persons.

33. The Tehsildar/ Naib Tehsildar shall give a written notice in **Form-4** to the officers of concerned departments of J&K Government /Government of India/Public Institutions with acknowledgement. The revenue officials shall ascertain the names of owners and lawful occupants of the lands through the Lambardar/Chowkidar well in advance.

34. The Surveyor shall observe all the demarcated points with the GNSS Receiver in presence of

landholders concerned and record the Geo-Coordinates and prepare the Land Parcel Map in **Form-8.**

35. When persons, whose attendance is essential, refuse or fail to attend, a report of non-attendance should be sent to the Tehsildar and survey shall be continued on the advice of the concerned Patwari/Girdawar.

36. The Government officers/officials deputed shall certify (in writing) the correctness of the demarcation of the land. If any objection is raised, the Patwari/Girdawar shall receive the same in **Form-5** with acknowledgement on boundary disputes raised by any interested party including the Government Department/Officer with proper evidence while conducting survey. The Surveyor shall conduct survey of such disputed boundaries but he will bring it to the notice of Patwari/Girdawar who will inform the Tehsil Level Committee or any designated authority for resolution of the dispute. The survey shall be continued with remarks that the said portion is disputed and shall be subject to the decision of the Designated Authority which shall record its decision in writing with reasons.

37. All the Government lands, Public lands, i.e., Kahcharai lands/common lands, acquired lands; water bodies etc., should be surveyed and re-fixed as per the existing Map/Jamabandi. All infrastructure like Roads/power utilities/public institutions and water bodies etc shall be measured and a separate Khasra number will be allotted to these plots if part of existing records. These lands shall be reflected as separate entity at the end of the RoR irrespective of the fact that the said infrastructures are on the Government lands or private lands. If any dispute arises under this Para, the surveyor shall record spot position and show it as disputed and brought it into the notice of Tehsil Level Committee.

38. The Surveyor shall survey land parcel boundaries as shown by the land holders/agent in presence of Patwari/Girdawar. In case of a dispute, the Surveyor shall conduct survey of such disputed boundaries and concerned Patwari shall bring it to the notice of Tehsil Level Committee or any designated authority for resolution of the dispute. The survey shall be continued with the remarks that this portion is disputed and shall be subject to the decision of the Designated Authority which shall record its decision in writing with reasons.

39. Some Government Land/State Land, Kahcharai lands, Non-Partible Shamilat lands, etc including the land under public institutions/infrastructures in the form of roads, Government buildings, Water bodies, graveyards, common sites etc. have been encroached on ground. Such lands shall be measured as per spot position and shall be superimposed on vectorized map. The shortfall shall be reflected in red colour. The dispute shall be referred to the competent authority for appropriate action. Afterwards, the map shall be updated as per the decision of the competent authority. The Revenue Officers shall ensure that survey work is not stopped on account of any such situation.

40. Every land parcel shall be assigned a Unique Land Parcel number (ULP number) besides Khasra number which may be integrated with the Aadhar number of the land holder in the software routines as per the decision of department.

41. Stones erected by the Government Department on the banks of canals, Railways, Forest Department etc to define the boundaries shall, with the consent of the departments concerned, be utilized as survey marks.

42. Some of the lands are with the Government agencies like Army, BSF etc., on rental basis, the map of such lands may be updated with the help of already existing vectorized map vis-a-vis record available with the agencies, if any.

43. The surveyor/Girdawar/Patwari shall sign the Land Parcel Map in the lower right-hand corner and enter the completion date of survey. Also, every page in the Field Register/Land Register and land parcel map shall be signed. Theland parcel map for every land holding shall be prepared in the prescribed format and to the scale duly showing the Geo-Coordinates of each vertex. The land parcel map including Geo-Coordinates of all vertices with point Ids of the field and topographical details shall be prepared in triplicate.

44. As survey proceeds or immediately on completion of the demarcation of each land parcel, the Field Register/Khasra details Register shall be prepared in **Form-9**, the land parcel numbers being entered at first in pencil from the Chominda. In preparing the Field Register, the greatest

care is necessary in locating the existing Khasra number against the new Khasra numbers. Simultaneously, the Patwari shall write Field Register in prescribed physical format. The Surveyor/Patwari/Girdawar shall sign on every page of the Field Register and the last page will bear the signatures of the authority designated for Quality Check.

45. Every entry of landholding recorded in Jamabandi shall be filled in the Field Register/Khasra detail register. The Vendor shall extract entries of column 1 to 13of the Field Register/Khasra details from the digitized Jamabandi and the same shall be integrated in the software as per the provider.

46. The entries in the Jamabandi shall be adopted as it is and if any discrepancy is found on spot, the same shall be registered in the discrepancy register the said entry shall be colored with red ink in the Field Register/Khasra Details register in the Web GIS till its disposal by the competent authority.

47. Any omissions or discrepancies found in the location work shall be corrected and filled in the relevant record.

48. All dimensions shall be in Metric system only and area of the land holding shall be in Square Meters converted into Kanals, Marlas and square feet.

49. The observation of Geo-Coordinates using GNSS Receiver shall start from the GCPs on each day of beginning and closing of the observations. The measurement of boundaries shall be generated from the Geo-Coordinates which are observed using GNSS Receiver of given specifications in the prescribed software.
50. Every demarcated boundary of a land parcel shall be measured for Geo-Coordinates. The Geo-Coordinates thus generated and recorded can be staked out or relayed on ground very precisely at any moment. The area of each land parcel should be computed by the Surveyor in the prescribed CAD based Software.

51. The observation of Geo-Coordinates of land parcel should not begin until all the vertices of land parcel have been demarcated on ground with survey marks.

52. Land Parcel should be measured in the consecutive order of the survey numbers. The vertices of land parcel should be measured by duly assigning point Id in sequence like 1,2,3,4,5 and the sequence of joining of points should be noted in Field Register as 1-2-3-4-5-1 to close the polygon of a land parcel as illustrated below.

53. The surveyor shall carefully survey to see that the common points or boundary between two land parcels is measured but once only so that there may be no difference between the measurements recorded for such common points or boundaries.

54. Where it is not possible to erect the GNSS Receiver due to thick bushes, inundation with water, obstructions for Satellite signal etc., at the parcel vertex to be observed, the following survey techniques shall be adopted

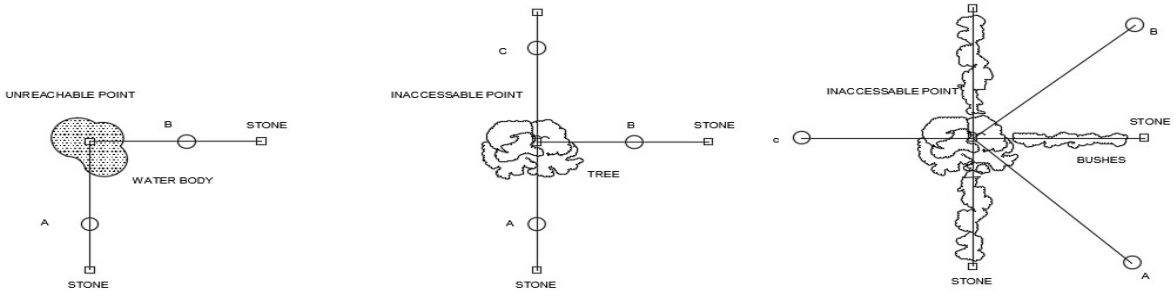

55. Enclosures within forest reserve and other detached land parcels whether situated within or outside the village boundary need not be connected as every Geo-Coordinate gives absolute Geo-position.
56. Arrows indicating the direction of streams should be inserted in the Map. Care should be taken

that the direction of the arrow shows the direction of the stream correctly.

57. The name of every village-site, hamlet, tank, hill, river, channel or other topographical feature which has a distinguishing name must be entered in the land parcel map and care must be taken to ensure its correct spelling.
58. As each land parcel is measured, a plan thereof should be plotted to a suitable Scale by the Surveyor in a prescribed Format with the Geo -Coordinates. Asarule, the top of the page will represent the North, but when it does not, the north point line should be drawn.
59. The land holdings must be plotted in the Land Parcel map format in the consecutive order of their Land Parcel numbers. The Scale should be noted at the foot of each Land Parcel Map
60. As the measurement of land parcels in a village is in progress, the Patwari shall simultaneously write the Field Register/Khasra details. The vertices(points) which are secured with survey stones/pillars by the land holders should be marked with a red circle.

CHAPTER-V

INSPECTIONS/QUALITY CHECK

20. The Patwari will accompany the Surveyor in the field and verify 100 % survey points on real time basis. The other officers will also perform quality check of the work done by the surveyor on all parameters. The distribution of percentage of quality check at the village level will be as follows:

    a) Girdawar/Patwari =100%

    b) Naib Tehsildar = 20%

    c) Tehsildar = 10%

21. The designated quality check authority should see that:

    a) The location sketch is neat and complete and is signed by the Surveyor.

    b) The village boundary traverse shall tally with the ground position

    c) The accuracy of the Geo-Coordinates observed for demarcated boundary

    d) The land holdings details on ground as well as in the Jamabandi along with the information of owners/occupants has been entered correctly in the map and the field register/Khasra Paimaish Register including the other registers.

    e) The deviation in measurement of recorded village boundary from the actual boundary on ground beyond 5%shall be treated as an error. Each omission in the Field Register/Khasra Paimaish Register shall be treated as an error.

22. The quality checking authorities shall invariably perform quality check of all the land parcels:

    a) Where there is a large variation in area recorded and measured in resurvey.

    b) Land holdings which are difficult to measure due to various reasons.

    c) land holdings adjacent to Govt. interested lands

    d) land holdings adjacent to Forest lands

    e) Inter State boundaries

    f) Villages which are partly submerged in project areas.

    g) Govt. interested lands where the area variation is above 5%.

h) lands which are archeologically important.

i) Lands which are in dispute and pending at competent authorities/Civil Courts before starting of resurvey.

23. The following will be treated as errors in demarcation and measurements:

a) Omission to erect or repair stones.

b) Erecting stones in incorrect positions.

c) Marking off Geo-Coordinates of demarcated points.

24. In resurveys, the entries in the Field Register/Khasra Paimaish Register will be checked at the same time by the Patwari/Girdawar during the demarcation and measurements. They shall see that the Field Register has been written correctly.

25. All errors either in demarcation or measurement of boundaries shall be rectified. All omissions (both on ground and in the records) shall also be completed wherever the same occur by the Patwari/Girdawar duly appending his name and signature with date.

26. The quality check shall be performed by the officers/officials in a way that no village is left without this test.

27. For quality check purposes, a surveyor with the GNSS Rover and other apparatus shall always accompany Naib Tehsildar/ Tehsildar or any other senior officer.

28. A quality check report in **Form-16**shall be written when any in section is conducted for village boundary by the officer.

29. The quality check authority shall inspect Geo-position of selected land parcels at random on priority basis using GNSS Receiver and such Geo-Coordinates obtained during inspection.

30. The discrepancy found in linear measurements of a field boundary shall be classed as errors in the following manner. If the number of errors per 100 points measured are;

Under 5	Good
From 5 to 10	Fair
More than 10	Bad

31. The unit for determining the quality of the Surveyor's work will be the Village.

32. Work classed as "bad" shall, as a rule, be ordered for revision. But before doing so, the Designated Authority shall satisfy himself that the nature of errors is such which warrants revision.

33. If any quality checking authority corrects the physical copy, such corrections shall be carried out recording just above the original entry by rounding off the original entry and signing of the same with designation and date. This method shall be adopted for both measurements and Field Register corrections or any other new register/map. The name signature/initials with date and the corrections incorporated shall be done with red ink.

34. The errors found in Field Register/Khasra Paimaish Register of a village shall be classed as errors in the following manner. If the number of errors per 100 entries is;

Under5	Good
From 5to1	Fair
Morethan10	Bad

35. The designated Quality Checking Authority shall confirm the evidence recorded in Field Register with reference to physical material collected by the Surveyor or submitted by the interested party with reference to above rule.

36. The designated Quality Checking Authority shall write a brief note on the last page of Field Register duly mentioning the number of corrections made with name, signature, designation and date.

37. The accuracy of the measurements recorded by the Surveyor shall be tested by all designated Quality Checking Authority as per their percentage and the check list.

38. On completion of field inspection, the designated Quality Checking Authority shall get the corrections incorporated, if any, in the Field Register and Land Parcel Map with a brief note regarding the same.

CHAPTER VI
POST SURVEY ACTIVITIES

PREPARATION OF RECORDS FOR DRAFT PUBLICATION

1) Preparation of Draft Khatuni/Draft Pass Book: After making incorporations of corrections, the surveyor shall prepare draft land parcel map and Field Register and integrate both to generate Draft Khatuni/Pass Book. (Pass Book: As per the Land Revenue Act)
2) These Khatuni/Draft Pass Books shall be distributed to the land holders/Government departments to invite objections. The objections received shall be disposed of as per **Chapter VI**
3) Register of GCPs/Sehada Stones/Pillars: The surveyor/Vendor shall prepare Register of GCPs/Sehada Stones/Pillars in **Form 13**(GCP having Geo-coordinates of high precision shall be assigned a unique ID of 11 digits).
4) Land Parcel Maps/Village Map: The vendor shall also prepare land parcel map for one village **Form-8.**
5) A Field Register/Khasra Paimaish Register for every village shall be prepared in **Form-13.**
6) A Discrepancy Register shall be prepared in Form 14

***

CHAPTER-VII

DISPOSAL OF OBJECTIONS ON BOUNDARY/SURVEY/JAMABANDI DATA

1. All the cases shall be disposed of in public camps and the proceedings shall be web casted if possible. Two kinds of cases will come before the designated authorities for disposal.

A) Objections received during resurvey/survey

B) Objections received after draft publication.

2. Cases under class (A) will lie to the
a) The Tehsil Level Committee (TLC) comprising of SDM/ACR, Tehsildar, Naib Tehsildar. The committee shall hear and dispose of objections in public camps in respective villages. The camps shall necessarily be held after measurement of 200 to 400 parcels.
b) If the Tehsil Level Committee opinion that the matter is not within its competence, it shall refer the matter to the District Level Committee (DLC) comprising of the ADC (Settlement)ACR/SDM/Tehsildar HQ and for Districts Jammu/Srinagar any officer nominated by the Deputy Commissioners. The committee shall hear objections in public camps in respective villages. The camps shall necessarily be held after measurement of 400 to 800 parcels.

3. Cases under clause (B)
   There will be the objections filed against the publication of the Khatuni/Draft Pass Books. These objections shall be filed before the Tehsil Level Committee within 15 days of publication of the draft.

4. While hearing, issuing notices, recording of evidences and disposing of the objections, the Tehsil Level Committee/District Level Committee shall follow the procedure as laid down in the J&K Land Revenue Act, 1996 Samvat.

5. The Tehsil Level Committee shall also receive the objection petitions filed while conducting survey/resurvey and adjudicate the disputed boundaries. After adjudicating the disputed boundaries, it shall record its decision in writing.

6. Where the dispute relates to Government/Forest or other department, the district head of that department or the Nodal Officer should remain present during hearing.

7. The Tehsil Level Committee/District Level Committee shall in each case pass its orders on merits and record the grounds of order.

8. The order of the Tehsil Level Committee/District Level Committee shall be implemented in the records and a certificate to that effect should be made.

9. Copies of depositions and documents filed during the course of hearing of a dispute and the memoranda of evidence shall be scanned and preserved.

10. In resurveys, the original survey records will form part of the documentary evidence for the order or decision.

11. The original Field Register shall not be corrected or updated as a result of decisions of competent authorities as it is the master copy of field data prepared while conducting survey/resurvey in presence of landholders.

12. The Patwari shall maintain a Register of objections which are received during survey/resurvey or collecting any other information in the field for disposal by the Tehsil Level Committee.

13. The surveyor attached with the Tehsil Level Committee shall conduct survey of disputed boundaries as and when the objections on such boundaries come up for decision while conducting survey.

14. The objector may authorize his agent with written consent to file objectionsandattendthecaseonhisbehalfforallpurposestilldisposalofsuchappeal.

****

CHAPTER-VIII

FINAL PUBLICATION OF RECORDS

1. After disposing of the objections received against the draft publication of the records, the decisions shall be incorporated in the relevant registers.

2. Thereafter, Final Land Parcel Maps/Village maps/ Masavi duly integrated with RoR shall be published.

3. All the Land Parcel Maps, Village Maps, Register of GCPs shall be made available in a public portal.

4. The following village wise records shall be sent to the Central Record Room:
   1. Traverse Data.
   2. Ground Control Points Location Data.
   3. Land Parcels Maps/Village Map

4. Field Register/Khasra Paimaish Register
5. Khatuni/Draft Pass Book
6. RoR.
7. Final Quality Check Reports.
8. Record of the village with Patwari/Tehsil.

CHAPTER-IX

SCALE: CARTOGRAPHY STANDARDS

The Scale of Land Parcel is irrelevant in Geo-Coordinate system as both Geo- Coordinates of each vertex and measurements of boundaries are shown, however to maintain uniformity, LPMs will be plotted to prescribed Scale varying from 1: 500 to 1000.

1. Individual Land Parcel Map (Rural) : 1:1000
2. Individual Land Parcel Map (Notified urban area): 1:500
3. Village Map : 1: 2640
4. Index Map of CORS Network : 1: 1,00,000

2. Land Parcel Numbers:
    1. Land Parcel Number size 14
    2. Base point Notation Font size 16
    3. Boundary line thickness 11
    4. Measurement Font size 10
3. Geo-Coordinates:
    1. Geo-Coordinates Font size 12
    2. Base Point Notation size 12
    3. Row height in Table 20
4. Topo details:
    1. Point feature size 18 to 20
    2. Line feature thickness 10
5. All Fonts should be in Aerial.
6. The symbols to be used in the sketch for the different kinds of stones/marks are given in, **Annexure -1.**
7. All the listed topo details in **Annexure-2** should be observed for Geo-Coordinates and recorded.

CHAPTER - X

PROTECTION OF ACTION TAKEN IN GOOD FAITH

1. No action shall lie against any Government Officer/Official or the surveyor appointed by the

competent authority for anything done or intended to be done under this manual in good faith unless Financial Commissioner Revenue, Union territory of Ladakh recommends action may take an adverse view and recommends action against the said officer/official or the surveyor.

2. No enquiry shall be conducted for the acts done under this survey manual without the prior approval of the Financial Commissioner Revenue, Union territory of Ladakh.
3. As per section 139 of the Land Revenue Act 1939, AD, no Civil Court shall exercise jurisdiction over any act done or intended to be done under this survey manual.

FORMS

FORM 1

SURVEY/RE-SURVEY SCHEDULE

SCHEDULE NOTIFICATION UNDER SECTION 101 OF J&K LAND REVENUE ACT 1939 AD

****

In pursuance to Government notification issued under No._____ dated_____ the Schedule for Survey / Resurvey in respect of Tehsil_____ of District _____is hereby notified as follows:

S. No	Name of Village	Date of Commencement of Survey /Resurvey	Name of villages of other Tehsils sharing boundary with the village	Name of Tehsils touching boundary of village
1.				
2.				
3.				

Note: The Patwaris of the village in other Tehsil whose boundary touches the village being resurveyed shall necessarily be present during the fixation of common boundary.

Place :
Date :

Signature :
Name :
Designation :

FORM NO. 2

MAP OF VILLAGE/TEHSIL BOUNDARY WITH LOCATION OF STONES WITH GEO CODS AFTER SURVEY/REFIXATION OF VILLAGE BOUNDARY
TO BE PROVIDED BY THE VENDOR

FORM-3

DETAILS OF SURVEY MARKS PLANTED

Village :
Tehsil :
District :

No. of Sehada stones planted		No. of boundary pillars planted		Remarks Old/new
Existing	*Newly planted*	*Existing*	*Newly planted*	
(1a)	*(1b)*	*(2a)*	*(2b)*	*(3)*

Prepared by: Checked by: Approved by:

Place :
Date :

Signature:
Name:
Designation:

FORM-4

NOTICE TO THE DEPARTMENT / INSTITUTION/ OFFICER CONCERNED FOR GOVT.LANDS

To

_____

_____

You are requested to attend and point out the boundary and afford such information and render such assistance as may be necessary.

Place :
Date :

Signature :
Name :
Designation :

Form 4 (a)
Acknowledgement

I acknowledge the receipt of the notice dated: ……. for field demarcation as per schedule mentioned.

Place	**:**	**Signature**	**:**
Date	**:**	**Name**	**:**
		Designation	**:**

FORM-5

APPLICATION TO FILE OBJECTION WHILE DEMARCATING FIELD BOUNDARY

To

Sir/Madam

I have received notice to attend on dated _____ at Survey No:_____ to show the boundaries of my landholding. During demarcation, I raised below mentioned objections for East/ West/ North/ South side of boundary of my landholding. Hence, I request to resolve my boundary dispute by referring documents/ survey records at the earliest.

Yours Truly,

Signature of the landholder.

Address

_____

_____

_____

_____

From 5(a)
Acknowledgement

I acknowledge the receipt of the application for objection while demarcating the field boundary by Shri …………………………claiming land in Survey. No …. Village: ………., Tehsil…………………….District: …………………..inForm-11.

Place	**:**			**Signature**	**:**
Date	**:**			**Name**	**:**
				Designation	**:**

FORM NO. 6

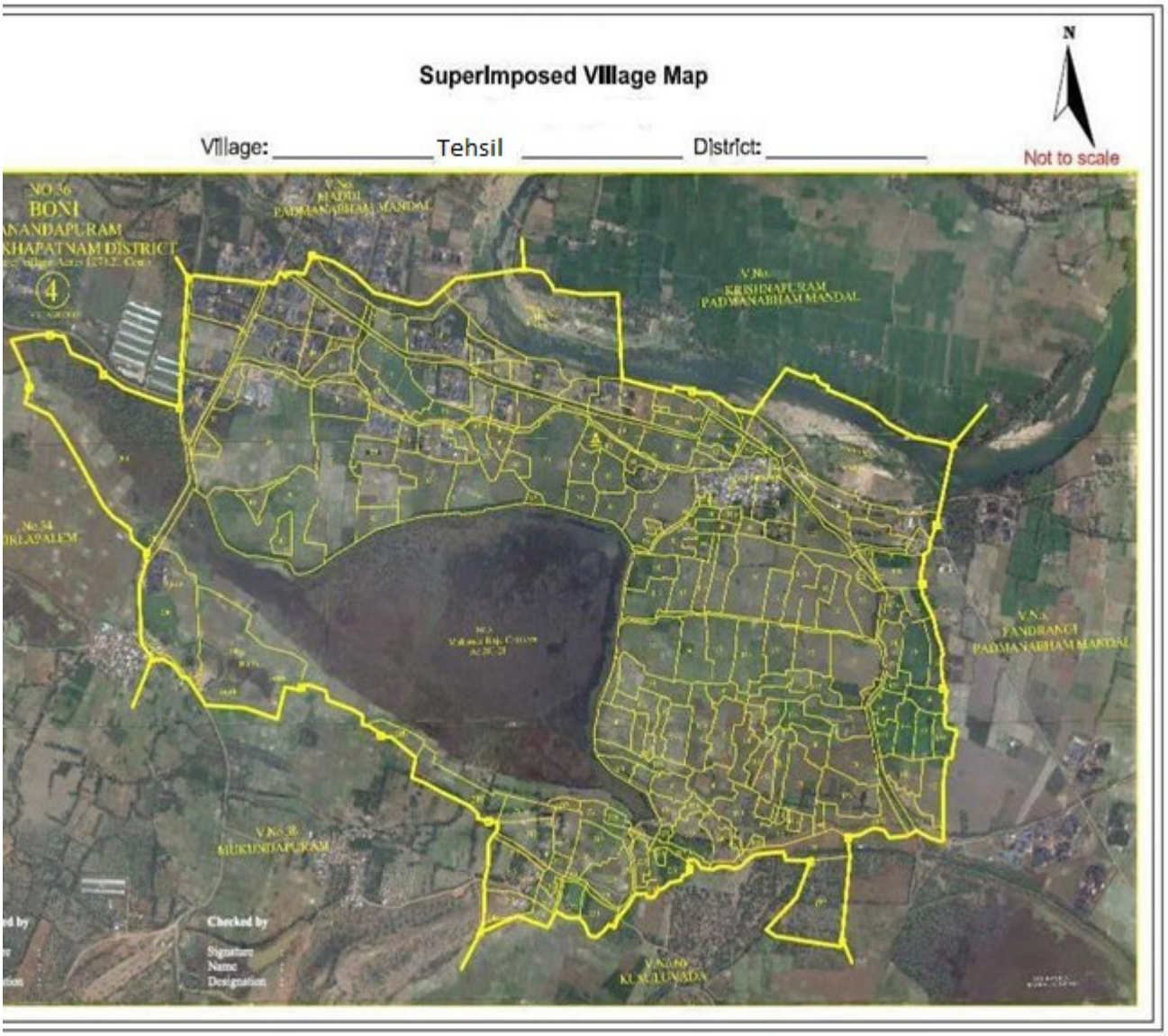

SuperImposed Village Map
Village: ____________ Tehsil ____________ District: ____________
N
Not to scale
BONI
KRISHNAPURAM
PADMANABHAM MANDAL
MUKUNDAPURAM
Checked by
Signature
Name
Designation

FORM NO. 7

ROUGH LOCATION SKETCH

Village: _____ Tehsil _____ District: _____

N

Not to scale

Location of land holdings in Sy. No. 39

FORM NO. 8

LAND PARCEL MAP

LAND PARCEL Nos. : 100 to 107

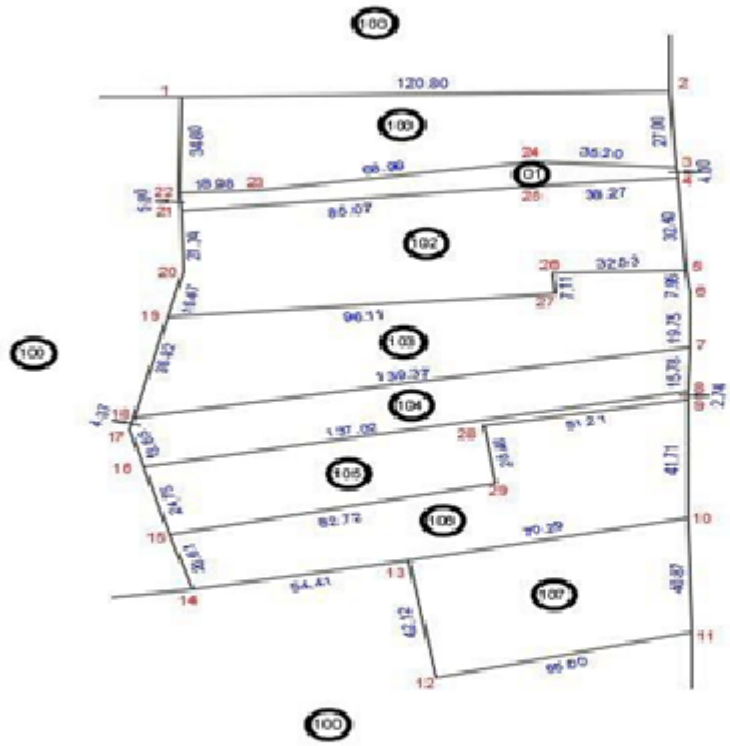

Land Parcel Number	Extent	
	Hect. Area	Ac. Cts
100	0-35	0-86
101	0-08	0-20
102	0-45.5	1-12
103	0-39.5	0-98
104	0-23	0-57
105	0-21	0-52
106	0-37.5	0-93
107	0-28	0-69

Point Number	Geo Coordinates	
	Easting	Northing
1	408874.87	1 867 732.88
2	408909.56	1 867 657.80
3	408953.67	1 867 636.03
4	408951.52	1867652.8
5	408932.26	1 867 606.77
6	408927.88	1 867 599.98
7	408915.22	1 867 584.76
8	408905.29	1 867 572.93
9	408903.55	1 867 570.39
10	408877.14	1 867 537.89
11	408851.84	1 867 506.09
12	408793.00	1 867 533.76
13	408814.37	1 867 570.07
14	408766.38	1 867 596.45
15	408774.55	1 867 614.58
16	408784.85	1 867 637.08
17	408790.03	1 867 649.51
18	408793.38	1 867 652.28
19	408822.82	1 867 674.43
20	408835.81	1 867 684.59
21	408849.30	1 867 701.61
22	408852.97	1 867 706.10
23	408868.55	1 867 695.28
24	408927.76	1 867 659.85
25	408920.17	1 867 654.57
26	408906.23	1 867 626.12
27	408902.21	1 867 620.25
28	408858.70	1 867 594.60
29	408848.34	1 867 577.60

Prepared by

Signature :
Name :
Designation :

Inspected & Approved by

Signature :
Name :
Designation :

Scale = 1:2000

Note : All Measurements are in Meters

FORM NO. 9

Khasra No.	Name of the land holder with description	Area in Sq. M.	Rough Sketch of the parcel
1	*2*	*3*	*4*

FORM-10

VILLAGE BOUNDARY QUALITY CHECK REPORT

I have conducted Quality Check of Village Boundary between ---------- and ---------- Villages---------- Tehsil ----------District, on Dt: ---------- in the presence of ----------. The details of inspection are as follows:

1. GNSS Rover Codes used by Surveyor:
2. GNSS Rover Codes used by Quality Checking Officer:
3. Whether coordinate data of both GNSS Rovers tallied or not, Yes/ No.
   Remarks (If not tallied):
4. Whether any over- lapping/ gaps of boundaries observed during inspection
5. What is the quality of work done by Village Surveyor
6. Reasons for deviation of original boundary
7. Whether outturn realized as per norms or not.
8. Reasons for less/ high out Turn
9. Whether corrections are carried out as per quality check Report
10. Details of corrections Attended
11. Certificate of correction by Quality Checking authority

S. No.	**As per Village Surveyor Survey**		**As per Quality Check**		**Remarks**
1	Total No of Survey Stones Measured	Details of Survey Marks	No. of Stones inspected	Details of Survey Marks	
2	Geo Codes of Survey Marks		Geo codes observed at the time of inspection		

Quality Check by :

Signature :

Name :

Designation

FORM-11

REPORT ON FINAL EXAMINATION OF RECORDS

District:…… Tehsil: …… Village: ……

Field Survey	Quality Checking Authority
9. Area Old : Resurvey: 10. No. of land parcel maps Old Resurvey 11. Whether Existing survey numbers are re-surveyed. 12. Whether all the landholdings within the village are surveyed. 13. Whether all the Government lands are surveyed with reference to existing land records. If any deviation found mention with remarks. 14. Whether Stone registers are prepared? 15. Whether all the land parcel maps are plotted as per specifications &scale. 16. Whether Village map is plotted.	

Station:
Date:

Designated Authority

Quality Check

Form-12
NOTICE TO LAND HOLDERS

Khatuni /Draft Field Book

To,

……,

……,

……

The subjoined statement is an extract from the ……Field Register of village ……., giving particulars of the lands registered and surveyed in your name. Objections, if any, against the survey should be presented within 07days from the date of service of this notice to the Tehsildar/ NaibTehsildar/ Girdawar/ Patwari.

Place:

Date:

Form-12 (a)
Acknowledgement

I acknowledge the receipt of the notice issued vide No……..dated:…….. issued by

Place : **Signature :**
Date : **Name :**

Designation

FORM-13

VILLAGE WISE GROUND CONTROL POINTS(GCP's)

The following Ground Control Points (GCPs) which are permanent in nature and shall be protected and maintained in the manner prescribed. The GCP Shall be used as permanent reference points for any Geospatial Survey by all interested agencies/Departments/individuals. Any person indulged in damaging and destroying GCP in any manner is a serious offence under the rules in vogue

District: Tehsil:

S.No	Name of the village	Unique ID	Geo-Co-ordinates			Description of Location of GCP(Location Map Tagged)	Remarks
			Northing	Easting	Zenith		
1	*2*	*3*	*4(a)*	*4(b)*	*4(c)*	*5*	*6*

FORM NO. 14

Discrepancies Register

S.No	Type of Discrepancy	Description of discrepancy		Resolution required		Quasi-Judicial	Remarks
	6. Kind of soil 7. Ownership 8. Occupancy 9. Area 10. Any other	As per record	As per spot	Tehsil level	District Level		

Note: the discrepancies shall be noted in all formats/records in red ink till disposal by the competent authority

Form-15

Final *Robkar*

Village _____ Tehsil_____ District_____ Division_____.

This *misal* is prepared in accordance with Notification No. _____ Dated_____ and in compliance to the order of the Settlement Officer _____Division issued vide No. _____ Dated_____ The work of preparing this misal commenced on _____ and completed in all respects on _____ . The *misal* is complete in all respects. Hence, it is ordered herewith that R.O. R along with all annexures (Computer Print) be deposited in the Settlement Record Room Jammu/Srinagar.

Dated_____

Settlement Officer

_____ .

Symbols

Survey Symbols

ANNEXURE-I

1		Modern series
2		Jammu Kashmir Suvey
3		Village boundary station
4		Village trijunction station
5		Khandam station
6		Minor circuit station
7		Theodolite station Town survey
8		Chain survey station Town survey
9		National Highways
10		Field stone Town survey
11		Rock mark
12		Forest cairn or pillar
13		Village boundary
14		Survey field boundary
15		Boundary of the units in the grouped village
16		Ground Control Point

Topo Details

ANNEXURE-II

[Rule-59, Chapter-IV]

1		Tiled or terraced house
2		Thatched house
3		Temple
4		Mosque
5		Church
6		Fort
7		Light house
8		Foot Path
9		Cart track
10		Earthan Road
11		Gravelled raod and mile stone
12		Metalled concrete and black top road
13		River Canal and aqueduct
14		River and stream with anicut
15		Culvert and bridge
16		Ferry
17		Tank

18		Calingula
19		Sluice
20		Square well
21		Round well
22		Broad guage double line
23		Broad guage single line
24		Swamp
25		Salt pan
26		Sand
27		Burial ground
28		Scrub and jungle
29		Limit of rocky ground
30		Electric Transmission Line
31		Electric Power House
32		Electric Sub-Station
33		Mobile Tower
34		Conventional line denoting mid river treated as village boundary with the name of the river on either side of the line
35		Public Toilets

36		Express way
37		Flyover
38		National Highway
39		Cors Base station

Shajra Nasab Symbols

Widow in Possession of her property

Female in possession of her property

Son from First Marriage

Khana nashin Daughter

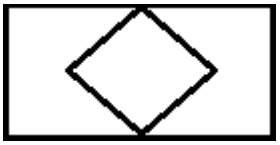

Khana Damaad

Joint Possession with Father

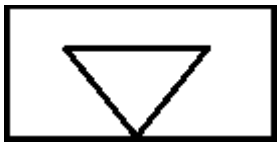

Daughter

Issueless

Unmarried and Issueless

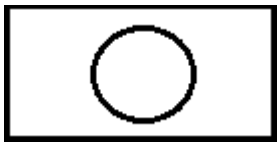

Widower

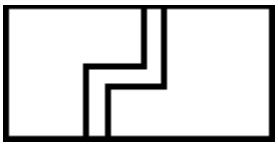

Adopted Son

YETINDRA MADHUSUDAN MARALKAR
Digitally signed by YETINDRA MADHUSUDAN MARALKAR
Date: 2023.09.22 15:58:39 +05'30'

PAWAN KOTWAL
Digitally signed by PAWAN KOTWAL
Date: 2023.09.21 19:59:52 +05'30'

"No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/publications in this part of The Ladakh Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc."